इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी 2026–फाल्गुन 5, शक 1947

## वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.–एफ 9–3–2026–नियम–चार भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 को अतिष्ठित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

### नियम

### अध्याय-1 प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.-**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 है।
   (2) ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रस्तुत होंगे।
2. **परिभाषाएँ.-**
   (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
   (क) "लोक सेवा आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
   (ख) "संतान" से अभिप्रेत है, शासकीय सेवक का पुत्र अथवा पुत्री (जिसमें दत्तक पुत्र/पुत्री भी सम्मिलित है।
   (ग) "परिलब्धियां" से अभिप्रेत है, नियम 28 में परिभाषित 'परिलब्धियों।

(घ) "परिवार पेंशन" से अभिप्रेत है, नियम 44 के अधीन अनुज्ञेय परिवार पेंशन ;

(ङ) "बाह्य सेवा" से अभिप्रेत है, वह सेवा जिसमें कोई शासकीय सेवक अपना वेतन, राज्य की संचित निधि से न लेकर शासन की स्वीकृति से किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त करता है।

(च) "शासन" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन ;

(छ) "उपदान" से अभिप्रेत है,–

(एक) "सेवा उपदान" जो नियम 40 के उप-नियम (1) के अधीन भुगतान योग्य है।

(दो) "सेवानिवृत्ति उपदान" जो नियम 40 के उप-नियम (2) के अधीन भुगतान योग्य है। और

(तीन) "मृत्यु उपदान" जो नियम 40 के उप-नियम (3) के अधीन भुगतान योग्य है; और

(चार) "अवशिष्ट उपदान" जो नियम 40 के उप-नियम (4) के अधीन भुगतान योग्य है";

(ज) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है,-

(एक) वे अधिकारी, जो राज्य शासन द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किए गए हैं,

(दो) अन्य कोई प्राधिकारी, जिसे राज्य शासन, विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रत्यायोजित करे;

(झ) "कार्यालय प्रमुख" से अभिप्रेत है,-

(एक) ऐसा अधिकारी, जिसे मध्यप्रदेश वित्तीय शक्तियों की पुस्तिका, 2025 के खण्ड (1) के अनुक्रमांक 1.2 के अधीन कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया हो अथवा ऐसे कार्यालय का प्रमुख, जहां शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेख, सेवानिवृत्ति के समय संधारित हो रहे हैं;

(दो) यदि शासकीय सेवक स्वयं कार्यालय प्रमुख है, तब उसके लिए कार्यालय प्रमुख, विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकृत किया गया, वह अधिकारी होगा, जो संबंधित शासकीय सेवक से उच्च पद धारित करता हो;

(ञ) "शासन द्वारा नियंत्रित स्थानीय निधि" से अभिप्रेत है, विधि अथवा विधि का प्रभाव रखने वाले नियमों द्वारा शासन के नियंत्रणाधीन ऐसे किसी संकाय की स्थानीय निधि, जिसके व्यय पर शासन का पूर्ण और सीधा नियंत्रण हो;

(ट) "अवयस्क" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है;

(ठ) "पेंशन" से अभिप्रेत है, अध्याय-5 के अंतर्गत पेंशन जिसमें उपदान एवं महंगाई राहत सम्मिलित नहीं है;

(ड) "पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक, पेंशन के अधीनस्थ अधिकारी जिन्हें शासन के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शासकीय सेवकों के पेंशन और/या उपदान अदायगी आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो;

(ढ) "अर्हतादायी सेवा" से अभिप्रेत है, राज्य शासन के अधीन पेंशन योग्य सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक की कालावधि, जो इन नियमों के अधीन पेंशन और उपदान निर्धारण के उद्देश्यों के लिए संगणना में ली जाती है और जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य आदेश अथवा नियम के अधीन अर्हतादायी सेवा शामिल है;

(ण) "सेवानिवृत्ति लाभ" से अभिप्रेत है, पेंशन, उपदान, और अवकाश नगदीकरण, जहां वह अनुज्ञेय है, शामिल हैं;

(त) "आवास अधिपति" से अभिप्रेत है, वह विभाग, जिस विभाग की पुस्तिका में शासकीय आवास अंकित है या जिसके प्रशासकीय नियंत्रण में है;

(थ) "वित्त विभाग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन का वित्त विभाग;

(द) "नियुक्तिकर्ता अधिकारी" से अभिप्रेत है, शासकीय सेवक द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद पर नियोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी;

(ध) "पेंशन सॉफ्टवेयर" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु तत्समय लागू साफ्टवेयर;

(न) "महंगाई राहत" से अभिप्रेत है, पेंशन, परिवार पेंशन और अनुकम्पा भत्ता पर देय महंगाई राहत;

(प) "अनुकम्पा भत्ता" से अभिप्रेत है, नियम 35 में स्वीकृत अनुकम्पा भत्ता;

(फ) "आबंटिती" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक जिसे शासकीय आवास आवंटित किया गया है;

(ब) "पेंशन प्रस्तावक अधिकारी" से अभिप्रेत है, कार्यालय प्रमुख जिसके द्वारा शासकीय सेवक/दिवंगत शासकीय सेवक का पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जाना है;

(भ) आश्रित से अभिप्रेत है, शासकीय सेवक पर आश्रित व्यक्ति, जिसकी समस्त स्रोतों से मासिक आय, न्यूनतम पेंशन एवं देय महंगाई राहत के योग की राशि से कम हो;

(म) "अधिवार्षिकी आयु" से अभिप्रेत है, शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) की धारा 2 में निर्धारित आयु;

(य) "पेंशन संवितरण अधिकारी" से अभिप्रेत है, पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी अथवा बैंक जिन्हें पेंशन के भुगतान हेतु अधिकृत किया गया हो;

(र) "नैतिक अधोपतन से अभिप्रेत है ऐसे अपराध से है, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत नैतिक अधोपतन की श्रेणी में रखा गया है।

(2) इन नियमों में प्रयोग किए गए ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं है, किन्तु मध्यप्रदेश मूलभूत नियमों में परिभाषित है, का अर्थ वही होगा, जो कि मध्यप्रदेश मूलभूत नियमों में उनके लिए समुनुदेशित किया गया है।

**3. लागू होना.-**

(1) ये नियम, लागू होंगे:-

(एक) इन नियमों में था उपबंधित, के सिवाय, ये नियम 31 दिसंबर, 2004 को या उसके पूर्व, जो मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित सिविल

सेवाओं के पदों पर नियोजित हैं और ऐसी स्थापनाओं पर हैं, जिन्हें पेंशन के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है;

(दो) ऐसे शासकीय सेवक पर जिसे दिनांक 31.12.2004 को या उससे पूर्व प्रशिक्षण पर रखा गया था, तत्पश्चात् दिनांक 31.12.2004 के बाद नियमित आधार पर नियुक्ति दी गई, तब जब प्रशिक्षण पूरा करना पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य शर्त थी, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान शासकीय सेवक वेतन या वृत्ति का पात्र था और प्रशिक्षण की अवधि, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अर्हता सेवा के रूप में गणना के लिए पात्र घोषित की गई हो;

(तीन) ऐसे शासकीय सेवक पर, जिसे केंद्रीय शासन के अधीन, दिनांक 31.12.2003 को या इसके पूर्व नियोजित किया गया था और इसके पश्चात 01 जनवरी, 2005 को या उसके पश्चात प्रदेश शासन की किसी ऐसी स्थापना में नियोजित किया गया, जिस पर ये नियम लागू हैं, इस शर्त के अध्याधीन कि इन नियमों या इस संबंध में जारी किए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार केंद्रीय शासन में की गई सेवा को पेंशन एवं उपदान की गणना के लिए अर्ह माना गया हो;

(चार) इन नियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक से वे व्यक्ति जो पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी, पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, पर भी लागू होंगे;

(2) किन्तु ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों को लागू नहीं होंगे,-

(क) कार्यभारित स्थापना (वर्क चार्ज) में नियोजित व्यक्ति ;

(ख) दैनिक दर पर नियोजित व्यक्ति;

(ग) आकस्मिकता/मजदूरी मद से भुगतान पाने वाले व्यक्ति;

(घ) स्थायी कर्मी/स्थायी वर्गीकृत के रूप में नियोजित व्यक्ति;

(ड) अंशदायी भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि (अंशदायी), राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ पाने के हकदार व्यक्ति;

(च) संविदा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संविदा पर कार्य करने वाले व्यक्ति;

(छ) व्यक्ति, जिनकी सेवा के निबंधन और शर्तें तत्समय प्रवृत्त किन्ही अन्य नियमों द्वारा विनियमित होती हैं।

## अध्याय-2

## साधारण शर्तें

**4. पेंशन, उपदान एवं परिवार पेंशन के दावों का विनियमन.-**

(1) शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति अथवा सेवानिवृत्त कर दिये जाने अथवा मृत्यु होने जैसी भी स्थिति हो, दिनांक को प्रभावशील नियमों के प्रावधानों के अनुसार पेंशन, उपदान अथवा परिवार पेंशन के दावों का विनियमन होगा।

(2) किसी विशिष्ट कार्यालय अथवा विभाग में शासकीय सेवक द्वारा की गई सेवा की पेंशन एवं उपदान के लिए अर्हता का निर्धारण, उन प्रचलित नियमों से किया जाएगा जो उस समय उसके द्वारा की गई सेवा पर लागू थे।

(3) जिस दिन, शासकीय सेवक यथा स्थिति सेवानिवृत्त होता है, सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, सेवामुक्त कर दिया जाता है, अथवा मृत्यु हो जाती है, को कार्य का दिन माना जाएगा।

**5. पेंशनों की संख्या की सीमाएं.-**

(1) कोई भी शासकीय सेवक, राज्य शासन की नियमित सेवा के लिए दो पेंशन अर्जित नहीं करेगा।

(2) नियम 16 में यथा उपबंधित के सिवाय, शासकीय सेवक जिसे अधिवार्षिकी पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पुनर्नियुक्त किया जाता है, तो पुनर्नियुक्ति की कालावधि के लिये पृथक से पेंशन अथवा उपदान की पात्रता नहीं होगी।

**6. पेंशन को रोकने अथवा वापस लेने का अधिकार.-**

(1) जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति

के पश्चात पुनर्नियोजन करने पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचार का दोषी रहा है, ऐसे मामलों में पेंशन को रोकने अथवा वापिस लेने की कार्यवाही की जाएगी;

(क) राज्यपाल, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी है,

(ख) प्रशासनिक विभाग के भारसाधक सचिव, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राज्यपाल के अधीनस्थ प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी है:

परंतु उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्यपाल द्वारा कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाए, वहां ऐसी पेंशन की राशि नियम 39 के अधीन न्यूनतम पेंशन की राशि से कम नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि पेंशन वापिस लेने पर पेंशन की पात्रता स्थायी रूप से समाप्त होगी:

(2) (क) यदि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट विभागीय कार्यवाही उस समय, जब शासकीय सेवक सेवा में रहा हो, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या शासन में उसके पुनर्नियोजन के दौरान, संस्थित की गई हो, तो उस कार्यवाही के विषय में शासकीय सेवक के अंतिम रूप से सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात, यह समझा जाएगा कि वह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के अधीन की गई कार्यवाही है, और वह उस प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा वे प्रारंभ की गई थी, उसी रीति में जारी रखी जाएगी और उसे अंतिम रूप दिया जाएगा, मानो वह शासकीय सेवक सेवा में बना रहा हो:

परंतु, जहाँ उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए विभागीय कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा न कर किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा संस्थित की जाए, वहां वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए एक प्रतिवेदन सक्षम

प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुरूप उस पर निर्णय अंतिम निर्णय लेगा।

(ख) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि विभागीय कार्यवाही, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के अधीन तब संस्थित की गई जब शासकीय सेवक सेवा में था और सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी जारी रही हो, तो ऐसी स्थिति में पेंशनभोगी की पेंशन और उपदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) विभागीय कार्यवाही, उस समय, जब शासकीय सेवक, सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व अथवा उसके पुनः नियोजन के दौरान, संस्थित न की गई हो, -

(एक) उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं की जाएगी,

(दो) ऐसी किसी घटना की बाबत नहीं होगी, जो उक्त संस्थिति से चार वर्ष से अधिक पहले घटी हो, और

(तीन) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर जिसके विषय में उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्देश दे और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाए, जो कि ऐसी विभागीय कार्यवाही पर लागू होती है, जिसमें शासकीय सेवक के संबंध में सेवा से पदच्युति का आदेश उसकी सेवा के दौरान दिया जा सकता हो:

परंतु इस उप-नियम के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित करने के प्रयोजन से संबंधित पेंशनभोगी को आरोपों का ज्ञापन भेजा जाएगा;

(घ) जहां, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के अनुसार कार्यवाही के दौरान पेंशनभोगी को पक्ष रखने के पर्याप्त अवसर देते हुए जांच की जाती है, वहाँ उप-

नियम (1) के अधीन कार्यवाही करने से पूर्व अपना पक्ष पुनः प्रस्तुत करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

(3) ऐसे शासकीय सेवक की दशा में, जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ हो और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित की गई हो या जहां मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम14 के अधीन संस्थित विभागीय कार्यवाही, उप-नियम (2) के अधीन जारी हो, या अन्यथा कारण से पेंशन प्रकरण तैयार करने में विलम्ब की स्थिति हो, उप-नियम (4) में यथा उपबंधित प्रावधिक पेंशन संस्वीकृत की जाएगी।

(4) (क) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट शासकीय सेवक के बावत, पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी, उस अधिकतम पेंशन के 100 प्रतिशत के बराबर प्रावधिक पेंशन प्राधिकृत करेगा, जो शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के दिनांक तक, या यदि वह सेवानिवृत्ति के दिनांक को निलंबित रहा था, तो उसके निलंबित किए जाने की दिनांक से ठीक पूर्व के दिनांक तक, उसकी अर्हक सेवा के आधार पर उसे अनुज्ञेय होती;

(ख) पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी उस अवधि के लिए प्रावधिक पेंशन प्राधिकृत करेगा, जो सेवानिवृत्ति की दिनांक से प्रारंभ होकर उस दिनांक तक है जिसमें वह दिनांक भी सम्मिलित है, जिसको विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया;

(ग) उपर्युक्त उप-नियम (4) के खण्ड (ख) के अनुसार प्रावधिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार पेंशन भुगतान आदेश जारी होने की तारीख के पूर्व तक प्रावधिक पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से प्रावधिक परिवार पेंशन का भुगतान जारी रहेगा;

(घ) शासकीय सेवक को तब तक उपदान नहीं दिया जाएगा जब तक कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती और उस पर अंतिम आदेश नहीं दे दिया जाता है:

परंतु यदि ऐसी कार्यवाही सेवानिवृत्ति के तीन साल पश्चात् भी जारी रहती है और उसमें अंतिम आदेश पारित नहीं होता है, तो पेंशनभोगी के आवेदन एवं नियुक्तिकर्ता अधिकारी की अनुशंसा पर पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी, ऐसी राशि को छोड़कर, जिसकी वसूली उक्त पेंशनभोगी से विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत संभावित हो, उपदान की राशि का भुगतान आदेशित कर सकेगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन संदत्त प्रावधिक पेंशन, ऐसी कार्यवाही की समाप्ति पर शासकीय सेवक को स्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति हितलाभों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा, किन्तु जहां अंतिम रूप में स्वीकृत पेंशन, प्रावधिक पेंशन से कम है या जहां पेंशन कम की गई है या वापिस ली जाती है या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक ली जाती है, वहां अन्तर की राशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

(6) (क) जहां कि उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चय करे कि पेंशन न तो रोकी जाए और न ही वापिस ली जाए, किन्तु धन संबंधी हानि की पेंशन से वसूली के आदेश दे, वहां वह वसूली शासकीय सेवक को अनुज्ञेय पेंशन एवं उस पर देय मंहगाई राहत की सम्पूर्ण राशि को सम्मिलित कर, की जाएगी, परन्तु, वसूली हेतु ऐसी निर्धारित राशि में सम्मिलित पेंशन की राशि मूल पेंशन के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी;

(ख) इस नियम के अधीन राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी;

(ग) राज्यपाल से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील, राज्यपाल को की जाएगी और राज्यपाल, अपील पर ऐसे आदेश पारित करेगा, जो वह उपयुक्त समझे।

(7) राज्यपाल, किसी भी समय स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेखों को मांग सकते हैं और लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश की पुनरीक्षा कर सकते हैं और

आदेश की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त कर सकते हैं, या मामले को किसी प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए वापिस कर सकते हैं कि वह आगे ऐसी जांच करे जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे या ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकते हैं जैसे किवह ठीक समझें:

परंतु रोकी गई पेंशन या उपदान की राशि से संबंधित शास्ति में वृद्धि करने वाला कोई आदेश राज्यपाल द्वारा तब तक नही दिया जाएगा, जब तक कि संबंधित शासकीय सेवक को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है।

**स्पष्टीकरण:-** इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(1) (क) विभागीय कार्यवाही, उस दिनांक को, जिस दिनांक को आरोप पत्र /आरोप ज्ञाप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 अथवा 16 के अधीन शासकीय सेवक या पेंशनभोगी को जारी किया गया है, अथवा यदि शासकीय सेवक किसी पूर्वत्तर दिनांक से निलंबित कर दिया गया है, तो ऐसी दिनांक को संस्थित समझी जाएगी;

(ख) न्यायिक कार्यवाही-

(एक) दांडिक कार्यवाही, उस दिनांक को संस्थित हुई समझी जाएगी जिस दिनांक को किसी पुलिस अधिकारी को शिकायत या रिपोर्ट, जिसका कि मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है, की गई हो।

"दाण्डिक कार्यवाही" से अभिप्रेत है, शासकीय सेवक के कर्तव्य निष्पादन के दौरान घटित आपराधिक कृत्यों के लिए शासन द्वारा दायर दाण्डिक वाद, और

(दो) सिविल कार्यवाही, उस दिनांक को संस्थित हुई समझी जाएगी जिस दिनांक को वादपत्र न्यायालय में पेश किया जाता है। "सिविल कार्यवाही" से केवल ऐसी

कार्यवाही अभिप्रेत है, जो शासन द्वारा दायर सिविल वाद की बाबत हो।

(2) इस नियम में, गंभीर "अवचार" से अभिप्रेत है, पेंशनभोगी द्वारा सेवा की अवधि के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन की सेवा भी सम्मिलित है, किया गया कोई ऐसा कृत्य, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण)नियम, 1965 के उपबंधों का उल्लंघन था और जिसके लिए सेवा की अवधि के दौरान मध्यप्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

(3) शासकीय सेवक द्वारा, अपने व्यक्तिगत दावों के लिए दायर किए गए वादों को न्यायिक कार्यवाही नहीं माना जाएगा।

7. **नैतिक अधोपतन का पेंशन पर प्रभाव.-**

(1) (क) इन नियमों मे स्वीकृत पेंशन को निरंतर रखने के लिए भविष्य में नैतिक अधोपतन की शर्त अन्तर्निहित होगी।

(ख) यदि कोई पेंशनभोगी किसी नैतिक अधोपतन के लिए दोषी पाया जाता है तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा पेंशन को स्थायी रूप से वापस ले सकता है, अथवा उसके किसी अंश को स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए रोक सकता है:

परंतु पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर नियोजित करने के लिए सक्षम पदाधिकारी के किसी अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि जहां पेंशन का कोई अंश रोका जाता है, तो पेंशन की शेष धनराशि न्यूनतम पेंशन, जैसा कि समय-समय पर, शासन द्वारा निर्धारित की जाए, से कम नहीं होगी:

परंतु यह और भी कि पेंशन वापिस ली जाती है तब पेंशन की पात्रता स्थायी रूप से समाप्त होगी।

(2) जहां पेंशनभोगी के नैतिक अधोपतन के कारण किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है तो इस प्रकार की दोषसिद्धि के संबंध में न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन नहीं आने वाले मामले में, उप-नियम (1) में संदर्भित पदाधिकारी यदि यह समझता है कि पेंशनभोगी किसी नैतिक अधोपतन का प्रथम दृष्टया दोषी है, तो उप-नियम (1) के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने के पूर्व वह-

(क) पेंशनभोगी को उसके विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही और जिस आधार पर वह कार्यवाही प्रस्तावित है, का सूचना पत्र देकर, पेंशनभोगी से अपेक्षा करेगा कि प्रस्ताव के विरुद्ध वह जो भी अभ्यावेदन देना चाहे, सूचना पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर नियुक्तिकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करे, और

(ख) खण्ड (क) के अंतर्गत पेंशनभोगी द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(4) जहां, उप-नियम (1) के अंतर्गत आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल है, तो आदेश पारित करने के पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(5) राज्यपाल के अतिरिक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा उप नियम (1) के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी और अपील पर राज्यपाल ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(6) इस नियम के उपबंध, नियम, 44 के अधीन देय परिवार पेंशन के लिए भी लागू होंगे। परिवार पेंशन का कोई भाग रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी, संबंधित शासकीय सेवक की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(7) उपर्युक्त अनुसार पेंशन रोकने अथवा वापस लेने के जारी किए गए आदेश की प्रति पेंशन संवितरण अधिकारी तथा पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को दी जाएगी।

**स्पष्टीकरण: -** इस नियम में, -"पेंशन" के अंतर्गत परिवार पेंशन, प्रावधिक पेंशन और प्रावधिक परिवार पेंशन भी है।

**8. सेवानिवृत्ति के उपरान्त व्यावसायिक नियोजन.-**

(1) यदि कोई पेंशनभोगी अपनी सेवा निवृत्ति के तत्काल पूर्व राज्य की प्रथम श्रेणी की सेवा में था, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पूर्व कोई व्यावसायिक रोजगार करना चाहता है, तो वह ऐसा करने के पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगा।

(2) उप-नियम (1) के उपबन्धों के अधीन किसी पेंशनभोगी के आवेदन पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी लिखित आदेश द्वारा आवश्यक अनुमति दे सकेगा अथवा उस पेंशनभोगी को आवेदन में उल्लिखित रोजगार हेतु आदेश में कारणों को अभिलिखित कर अनुमति देने से इन्कार कर सकेगा।

(3) जहां उप-नियम (2) के अंतर्गत आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों के भीतर नियुक्तिकर्ता अधिकारी आवेदित अनुमति की अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है तो यह मान लिया जाएगा कि उस ने आवेदित अनुमति प्रदान कर दी है।

(4) जहां नियुक्तिकर्ता अधिकारी आवेदित अनुमति अस्वीकृत करता है तो तत्संबंधी आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर आवेदक ऐसी किसी अस्वीकृति के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। नियुक्तिकर्ता अधिकारी जैसा कि वह उचित समझे, उस पर आदेश देगा, परन्तु इस नियम के अधीन अभ्यावेदन करने वाले पेंशन भोगी को कारण बताने का अवसर दिये बगैर कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(5) उप-नियम (1) के उपबन्धों के अधीन यदि कोई पेंशनभोगी नियुक्तिकर्ता अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई रोजगार ग्रहण करता है, तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी लिखित आदेश द्वारा कारणों को उल्लेखित करते हुए पूर्ण पेंशन अथवा पेंशन के किसी ऐसे अंश को ऐसी समयावधि के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, रोक सकेगा:

परन्तु उपर्युक्त घोषणा के विरूद्ध संबंधित पेंशनभोगी को कारण बताने का अवसर दिये बगैर ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा।

(6) इस नियम के अधीन नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा पारित किया जाने वाला प्रत्येक आदेश संबंधित पेंशनभोगी को संसूचित किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण:-** सेवानिवृत्ति की तारीख से अभिप्रेत है, वह तारीख जिस पर कि शासकीय सेवक, शासकीय सेवा में एवं यदि उसी पद या नियुक्तिकर्ता अधिकारी के अधीन अन्य पद पर पुनर्नियुक्त होता है, तो इस प्रकार पुनर्नियुक्ति से अंतिम रूप से मुक्त हो जाता है।

9. **भारत के बाहर किसी शासन के अधीन सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन.-** यदि कोई पेंशनभोगी, सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व राज्य शासन के अधीन चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य किसी पद पर पदस्थ था, भारत के बाहर किसी भी शासन के अधीन नियोजन ग्रहण करना चाहता है, तो वह सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व के संवर्ग नियंत्रण करने वाले विभाग के भारसाधक सचिव से पूर्वानुमति प्राप्त करेगा। ऐसा पेंशनभोगी जो बगैर उचित अनुमति के ऐसा कोई नियोजन ग्रहण करता है तो उसे उस अवधि के लिए जिसमें वह इस प्रकार नियोजित रहता है अथवा ऐसी अन्य अवधि के लिए, जैसा कि शासन निर्देशित करे, पेंशन भुगतान योग्य नहीं होगी।

## अध्याय- 3
## अर्हक सेवा

10. **अर्हतादायी सेवा का प्रारंभ.-**

(1) किसी शासकीय सेवक की सेवा, जब तक वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करता है, अर्हतादायी सेवा का प्रारंभ नही माना जाएगा।

(2) इन नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, किसी शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा उस दिनांक से प्रारंभ होगी, जिस दिनांक को वह शासन की किसी सेवा के पद पर पहली बार नियोजित होकर कार्यभार ग्रहण करता है।

11. **शर्तें जिनके अधीन सेवा अर्हता प्राप्त करती है.-**

(1) किसी शासकीय सेवक की सेवा तब तक अर्हता प्राप्त नहीं करेगी जब तक उसका कार्य और वेतन, शासन द्वारा विनियमित अथवा शासन द्वारा विहित शर्तों के अधीन नहीं हो।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "सेवा" से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा जिसके लिए शासन द्वारा राज्य की संचित निधि से भुगतान किया जाता है, परन्तु यदि शासकीय सेवक द्वारा शासन के आदेशों के पालन में राज्य के संस्थानों अथवा केन्द्र के अंतर्गत सेवा की है एवं जिसके लिए नियम 12 के अधीन पेंशन अंशदान प्राप्त किया गया है, तब यह सेवा पेंशन प्रयोजनों के लिए अर्ह होगी।

12. (1) (क) **केन्द्रीय शासन में सेवा.-** किसी ऐसे शासकीय सेवक की दशा में जिसकी 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व केन्द्रीय शासन की पेंशन योग्य स्थापना में प्रथम नियुक्ति हुई हो, और राज्य शासन की किसी ऐसी सेवा के पद पर, जिसे ये नियम लागू होते हैं, उचित अनुज्ञा के साथ संविलयन अथवा नियोजित किया जाता है, केन्द्रीय शासन के अधीन की गई वह सेवा अर्ह होगी;

(ख) **राज्य शासन की अन्य सेवा में नियुक्ति.-** राज्य शासन के किसी ऐसे शासकीय सेवक, की जिसकी किसी ऐसी सेवा के पद में जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्य शासन की अन्य सेवा के पद से कार्यमुक्ति अथवा तकनीकी त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात, उचित अनुज्ञा से नियुक्ति हुई हो, तब राज्य शासन के अधीन पूर्व पद पर की गई लगातार सेवा अर्ह मानी जाएगी।

**स्पष्टीकरणः-** किसी शासकीय सेवक को शासन में उचित अनुज्ञा के साथ नियोजित किया गया समझा जाएगा, यदि उसने सक्षम स्तर की पूर्व अनुज्ञा के साथ शासन की अन्य सेवा के पद के लिए आवेदन किया था और नवीन पद पर कार्यग्रहण हेतु सक्षम स्तर से जारी आदेश, स्पष्ट रूप से उपदर्शित करता है कि शासकीय सेवक, सक्षम स्तर से अनुज्ञा लेकर शासन के अधीन पद में कार्यग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है।

(2) केन्द्र शासन या राज्य शासन की पूर्व सेवा/सेवाओं को वर्तमान सेवा में जोड़ने की स्वीकृति एवं आदेश वर्तमान सेवा के प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

13. **परिवीक्षा सेवा की गणना.-** किसी पद के विरुद्ध परिवीक्षा पर की गई सेवा अर्हतादायी होगी।

14. **प्रशिक्षु की हैसियत में सेवा की गणना.-** केवल उन प्रकरणों को छोड़कर जहां अनुज्ञेय पेंशन नियमों के अधीन उस समय की गई सेवा अर्हतादायी है, प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा अर्हतादायी नहीं होगी।

15. **तदर्थ/आपाती सेवा की गणना.-** तदर्थ/आपाती सेवा अर्हकारी होगी, यदि-

(**क**) तदर्थ/आपाती नियुक्ति,नियमित पद के विरुद्ध थी तथा नियुक्ति सेवा में बिना व्यवधान नियमित की गई है; अथवा

(**ख**) तदर्थ/आपाती सेवाओं में दो या अधिक व्यवधान की दशा में केवल नियमित नियुक्ति के तत्काल पूर्व की तदर्थ/आपाती अवधि ही पेंशन के लिए अर्हकारी समझी जाएगी।

(**ग**) तदर्थ/आपाती सेवा से नियमित पद पर नियुक्ति होने पर तदर्थ/आपाती पद से कार्यमुक्त एवं नियमित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि को सेवा में व्यवधान के रूप में नहीं माना जाएगा।

16. **पुनर्नियोजित शासकीय सेवक के प्रकरण में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना.-**

(1) ऐसा शासकीय सेवक, जो अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पुनर्नियोजित किया जाता है और किसी ऐसी सेवा के पद पर, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, 31 दिसंबर, 2004 को या उससे पूर्व नियोजित किया गया है और जो ऐसे पुनर्नियोजन या नियुक्ति होने पर, प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है, और-

(एक) पहले ली गई पेंशन;

(दो) पेंशन के भाग के सारांशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य, और

(तीन) सेवा उपदान की राशि, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, भी है, वापस कर देता है अथवा वापस करने के लिए सहमत है, उसकी पहले की सेवा की गणना, अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(2) ऐसे शासकीय सेवक से, जो अपनी पूर्व सेवा की गणना के लिए विकल्प देता है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी पूर्व सेवा की बाबत प्राप्त उपदान, छत्तीस से अनधिक मासिक किस्तों में, जिनमें से पहली किश्त उस माह के, जिसमें उसने विकल्प का प्रयोग किया था, ठीक बाद के माह से आरंभ होगी, वापस दे। ऐसी दशा में पहले की सेवा का अर्ह सेवा के रूप में गणना कराने का अधिकार, तब तक पुनः प्रवर्तित नहीं होगा, जब तक कि पूरी राशि वापस नहीं कर दी गई हो।

(3) ऐसे शासकीय सेवक की दशा में, जिसकी उपदान वापस करने का विकल्प दिए जाने तथा यह राशि वापस करने से पहले ही मृत्यु-हो-जाए, उपदान की वह राशि जो वापस नहीं की गई, मृत्यु सह सेवा उपदान के मद में समायोजित कर दी जाएगी।

**स्पष्टीकरण:-** पेंशन का पूंजी मूल्य, दूसरी या अंतिम सेवानिवृत्ति के समय लागू मध्यप्रदेश, सिविल सेवा (पेंशन का सारांशीकरण)नियम, 2026 के अधीन समय-समय पर संशोधित सारणी के अनुसार संगणित किया जाएगा।

17. **सिविल रोजगार के पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना**.- (1) ऐसा शासकीय सेवक, जिसे सैन्य सेवा करने के पश्चात किसी सिविल सेवा के पद में 31 दिसंबर, 2004 को या उससे पूर्व पुनर्नियोजित किया जाता है और ऐसे पुनर्नियोजन होने पर वह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है और,-

(एक) पहले ली गई पेंशन; और

(दो) सैनिक पेंशन के भाग के सारांशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य; और

(तीन) सेवानिवृत्ति उपदान की राशि, जिसके अंतर्गत सेवा उपदान, यदि कोई हो, वापस कर देता है या वापस करने के लिए सहमत है, अपनी पिछली सैन्य सेवा की गणना अर्ह सेवा के रूप में कर सकेगा।

स्पष्टीकरण (एक):- ऐसा शासकीय सेवक, जिसने सैन्य सेवा की थी और जिसने 31 दिसंबर, 2004 को या उससे पहले सिविल सेवा के पद पर पुर्ननियोजित होने पर सैन्य पेंशन को जारी रखने या सेवा से कार्यमुक्त होने पर प्राप्त उपदान को धारित करने का विकल्प चुना था, उसकी पूर्व सेवाओं की गणना इन नियमों के अधीन अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण (दो):- ऐसा शासकीय सेवक, जिसने 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् सेना में सेवा प्रारंभ की थी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को प्रशासित करने वाले नियमों के अंतर्गत शासित होगा।

(2) ऐसे शासकीय सेवक से, जो उप-नियम (1) के लिए विकल्प देता है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी पहले की सैन्य सेवा की बावत प्राप्त पेंशन, उपदान, छत्तीस से अनधिक मासिक किस्तों में, जिसमें से पहली

किस्त, उस माह के, जिसमें उसने विकल्प का प्रयोग किया था, ठीक पश्चात के माह से आरंभ होगी, वापस दे। पहले की सेवा की अर्हक सेवा के रूप में गणना कराने का अधिकार तब तक पुनः प्रवर्तित नहीं होगा, जब तक कि पूरी राशि वापस न दी गई हो।

(3) ऐसे शासकीय सेवक की दशा में, जहां पेंशन, बोनस या उपदान को वापस करने का विकल्प दिये जाने तथा यह राशि वापस करने से पहले ही मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में पेंशन या उपदान की वह राशि जो वापस नहीं की गई, उसे मृत्यु-सह-सेवा उपदान के विरुद्ध समायोजित कर दिया जाएगा।

(4) ऐसा कोई आदेश पारित किया गया हो जिसमें पहले की गई सैन्य सेवा की गणना सिविल सेवा पेंशन के लिए अर्ह सेवा के एक भाग के रूप में किया जाना मान्य किया गया हो, तब उस आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें सैन्य तथा सिविल सेवा के बीच सेवा में व्यवधान, यदि कोई हो, को माफ किया गया है:

परन्तु व्यवधान की अवधि को पेंशन एवं उपदान के लिए अर्हकारी सेवा की गणना में नहीं लिया जाएगा।

(5) सिविल सेवा या पद में पुनर्नियोजन के पश्चात् की गई सेवा के लिए पेंशन और उपदान, सैन्य सेवा की बावत, शासकीय सेवक द्वारा ली गई पेंशन और उपदान के संदर्भ में किसी परिसीमा के अध्यधीन नहीं होगा।

18. **अवकाश पर व्यतीत समयावधि की गणना**.-

(1) सेवाकाल में लिये गए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश, जिसमें असाधारण अवकाश भी शामिल है, अर्हतादायी सेवा के रूप में जोड़े जायेंगे। किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति जिसके लिए अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, अनाधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा।

(2) निरंतरता में 5 वर्ष से अधिक अवधि की अवकाश अवधि की स्थिति में 5 वर्ष से जितनी अवधि अधिक है, वह अवधि अर्हतादायी सेवा नहीं होगी।

19. **अकार्य दिवस** .- अकार्य दिवस की अवधि पेंशन तथा उपदान के लिये अर्हतादायी नहीं होगी।

20. **प्रशिक्षण पर व्यतीत समयावधि की गणना.-** शासन आदेश द्वारा विनिश्चित कर सकता है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के तत्काल पूर्व किसी शासकीय सेवक द्वारा नियुक्ति के लिये अनिवार्य प्रशिक्षण में व्यतीत किया गया समय अर्हतादायी सेवा के रूप में जोड़ा जाएगा।

21. **निलम्बन काल की गणना.-**

(1) शासकीय सेवक ने जो अवधि कदाचरण की जांच होने तक निलम्बन में व्यतीत की है, उसकी गणना, जहां कि ऐसी जांच समाप्त हो जाने पर उसे पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है अथवा लघु शास्ति अधिरोपित की गई है, अथवा निलंबन के पश्चात विभागीय जांच किए बिना ही बहाल कर दिया गया है वहां, ऐसी निलम्बन अवधि अर्हक सेवा के रूप में मानी जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन समावेश न होने की दशा में, निलंबन अवधि की गणना अर्हकारी सेवा के रूप में तब तक मान्य नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे;

(3) उप-नियम (2) अनुसार स्पष्ट आदेश के अभाव में अथवा सेवा अभिलेख में निलम्बन अवधि को सेवाकाल माने जाने की स्पष्टता न होने पर निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि न मानते हुए, पेंशन प्रकरण निराकृत किया जाएगा।

22. **पदच्युति अथवा हटाये जाने पर सेवा का हरण.-** शासकीय सेवक की सेवा के पद से पदच्युति अथवा हटाए जाने पर उसकी पूर्व सेवा का स्वतः ही हरण हो जाएगा अर्थात नियम 39 एवं 40 के अनुसार कोई सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होगा।

23. **बहाल होने पर पूर्व सेवा की गणना.-**

(1) शासकीय सेवक, जिसे सेवा से पदच्युत, हटाया या अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है, परन्तु बाद में अपील अथवा पुनर्विलोकन अंतर्गत पुनर्स्थापित कर दिया जाता है, तो पूर्व में की गयी सेवा अर्हतादायी सेवा मान्य होगी एवं तदनुसार पेंशन व उपदान की पात्रता होगी।

(2) यथास्थिति, पदच्युत, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दिनांक तथा बहाली के दिनांक के बीच सेवा में जितनी अवधि का व्यवधान हुआ है, उतनी अवधि, यदि कोई हो, की गणना तब तक अर्ह सेवा के रूप में नहीं की जाएगी, जब तक कि उसे उस प्राधिकारी के जिसने कि बहाली का आदेश पारित किया था, किसी विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा कर्तव्य अथवा अवकाश के रूप में विनियमित नहीं कर दिया गया हो।

**24. पदत्याग पर सेवा का हरण.-**

(1) शासन की किसी सेवा के पद से पदत्याग करने पर, तब के सिवाय जब नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा लोकहित में ऐसा पदत्याग वापस लेने की अनुज्ञा दे दी जाती है, विगत सेवा का हरण हो जाएगा।

(2) पदत्याग से विगत सेवा का हरण नहीं होगा, यदि ऐसा पदत्याग, समुचित अनुज्ञा से, ऐसी सरकार के अधीन वहां, जहां सेवा अर्हक होती है, कोई नियुक्ति ग्रहण करने के लिए किया गया हो, ऐसा पदत्याग तकनीकी पदत्याग माना जाएगा। पदत्याग स्वीकार करने वाले आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि शासकीय सेवक ने समुचित अनुज्ञा से अन्य नियुक्ति ग्रहण करने के लिए पदत्याग किया है और शासकीय सेवक के सेवा अभिलेख में इस आशय की विशिष्ट प्रविष्टि कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन आने वाले मामले में सेवा का व्यवधान, जो दो विभिन्न स्थानों पर दो नियुक्तियों के कारण हो गया हो और जो स्थानांतरण के नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यभार-ग्रहण करने की अवधि से अधिक हो, शासकीय सेवक को उसके कार्यमुक्त होने की दिनांक को, पात्र किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करके अथवा उस सीमा तक जिस तक वह अवधि उसके पात्र अवकाश से पूरी न होती है, उसे औपचारिक रूप से असाधारण अवकाश स्वीकृत कर निराकृत किया जाएगा।

(4) नियुक्तिकर्ता अधिकारी किसी व्यक्ति को उसका पदत्याग लोकहित में वापस लेने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों पर दे सकेगा, अर्थात् :-

(एक) यह कि शासकीय सेवक ने पदत्याग ऐसी विवशता के कारणों से किया था, जिसका संबंध उसकी ईमानदारी, दक्षता या आचरण की बाबत किसी लांछन से नहीं है और पदत्याग को वापस लेने का

अनुरोध उन परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाने के कारण किया गया है जिन परिस्थितियों में शासकीय सेवक मूलतः पदत्याग करने के लिए विवश हुआ था;

(दो) यह कि पदत्याग के प्रभावी होने की दिनांक और पदत्याग वापस लेने का अनुरोध करने की दिनांक के बीच की अवधि में संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था;

(तीन) यह कि पदत्याग प्रभावी होने की दिनांक और व्यक्ति द्वारा पदत्याग वापस लेने की अनुज्ञा देने का अनुरोध करने की दिनांक के बीच कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि, नब्बे दिन से अधिक नहीं है;

(चार) यह कि वह पद, जो शासकीय सेवक का पदत्याग स्वीकार करने पर रिक्त हुआ, उपलब्ध है;

(5) नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा पदत्याग को वापस लेने का अनुरोध, उस दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब शासकीय सेवक ने सेवा के पद से पदत्याग किसी वाणिज्यिक कंपनी में या उसके अधीन अथवा शासन के पूर्णतः या सारतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या किसी संस्थान में नियुक्ति ग्रहण करने के उद्देश्य से किया गया था।

(6) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अपना पदत्याग वापस लेने और पुनः कार्यग्रहण करने का आदेश पारित किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे आदेश में सेवा में व्यवधान की अवधि को अकार्य दिवस माने जाने का आदेश भी अन्तर्निहित है।

(7) नियम 37 या नियम 38 के प्रयोजन के लिए शासन के अधीन की गई विगत सेवा का हरण नहीं होगा।

(8) यदि कोई शासकीय सेवक अनाधिकृत रूप से 5 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए निरंतर शासकीय सेवा से अनुपस्थित रहता है, तब उसे उसकी अनुपस्थिति दिनांक से, सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा।

25. **सेवा में व्यवधान का प्रभाव.**-(1) निम्नलिखित प्रकरणों को छोड़कर, शासकीय सेवक के सेवा में व्यवधान से उसकी पूर्व सेवा का हरण हो जाएगा:-

(क) अधिकृत अवकाश के कारण अनुपस्थिति;

(ख) निलम्बन, जहां बाद में चाहे उसी अथवा किसी भिन्न पद पर पुन:स्थापना कर दी जाती है, अथवा निलंबनाधीन रहते हुये जहां शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाती है अथवा सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी जाती है अथवा सेवानिवृत्ति दी जाती है;

(ग) सेवा से पदच्युति, हटाये जाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन योग्य सेवा में पुन:स्थापन;

(घ) किसी एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण के दौरान कार्यभार ग्रहण करने का समय।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, नियुक्तिकर्ता अधिकारी बिना अवकाश अनुपस्थिति काल को आदेश द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर सकेगा। ऐसी असाधारण अवकाश की अवधि पेंशन के लिये अर्हतादायी होगी।

26. **सेवा में व्यवधान का दोषमार्जन.-** सेवा अभिलेख में प्रतिकूल विनिर्दिष्ट उपदर्शन के अभाव में, शासन के अधीन किसी शासकीय सेवक द्वारा दो बार की गई सिविल सेवा के बीच में व्यवधान स्वमेव दोषमार्जित माना जाएगा तथा व्यवधान पूर्व सेवा अर्हतादायी सेवा मानी जाएगी।

27. **अर्हतादायी सेवा का सत्यापन.-**

(1) किसी शासकीय सेवक के 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर अथवा सेवानिवृत्ति अथवा अधिवार्षिकी,जो भी पहले हो, के पांच वर्ष शेष रह जाने पर, कार्यालय प्रमुख, इन नियमों के अनुसार उस शासकीय सेवक द्वारा की गई सेवा को सत्यापित करेगा और अर्हतादायी सेवा को अवधारित करेगा और इस प्रकार अवधारित की गई अर्हतादायी सेवा की अवधि शासकीय सेवक को संसूचित करेगा।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुये भी, जब किसी शासकीय सेवक का किसी विभाग से अन्य दूसरे विभाग में संविलयन होता है अथवा जहाँ वह पहले कार्यरत था, का धारित पद अतिशेष घोषित हो जाता है तो उसकी सेवा का सत्यापन विभागीय अभिलेखों से किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अंतर्गत किए गए सत्यापन को अंतिम माना जाएगा और बाद में उन नियमों और शासनादेशों, जिन शर्तों के अधीन पेंशन के लिये सेवा अर्हतादायी होती है, में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उन्हें छोड़कर, उसे पुनः नहीं खोला जाएगा।

इन नियमों में अन्यथा घोषित अनर्हतादायी सेवा को छोड़कर पेंशन प्रकरण के निराकरण के लिये शासकीय सेवक की समस्त सेवा, अर्हतादायी सेवा मानी जाएगी। इस हेतु पृथक से सेवा सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

## अध्याय- 4
## परिलब्धियां

28. **परिलब्धियां.-** (1) 'परिलब्धियां' से अभिप्रेत है, मूलभूत नियमों के नियम 9 के उप-नियम (21) में यथा परिभाषित मासिक वेतन, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर पारित आदेश के द्वारा अवधारित किया जाए, जो शासकीय सेवक, सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व अथवा उसकी मृत्यु के दिनांक को, जैसा भी प्रकरण हो, प्राप्त कर रहा था। इसमें सम्मिलित हैं,-

(एक) शीघ्रलेखकों का द्विभाषी भत्ता;

(दो) पदोन्नति पर उच्च वेतनमान के बदले में प्रदत्त विशेष वेतन, यदि कोई हो;

(तीन) चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सा शिक्षकों को स्वीकृत अव्यवसायिक भत्ता,निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ,-

(क) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की दिनांक के ठीक पूर्व के अंतिम 120 माह के दौरान आहरित अव्यवसायिक भत्ता का औसत;

(ख) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की दिनांक के ठीक पूर्व के ऐसे मामलों में जहां सेवानिवृत्ति मृत्यु पूर्व के 120 माह के दौरान यदि अव्यवसायिक भत्ता भिन्न-भिन्न समयावधि पर आहरित किया गया है एवं इस प्रकार की समयावधियों का कुल योग 120 माह से कम है, तब कुल प्राप्त अव्यवसायिक भत्ता का 120 वां भाग। जैसे यदि अव्यवसायिक भत्ता ₹ 2000 प्रतिमाह की दर से 90 माह लिया गया

है तब गणना $2000 \times 90/120 = 1500$ होगी तदनुसार ₹ 1500 जोड़े जाएंगे।

(2) यदि कोई शासकीय सेवक, सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के तत्काल पूर्व सेवा के दौरान अवकाश पर रहा है, जिसके लिए अवकाश वेतन देय है अथवा निलंबित होने के उपरांत (बिना सेवा अवधि को राजसात किए) बहाल किया गया है, तो परिलब्धियां, जो वह आहरित करता है, यदि वह अवकाश पर नहीं रहता अथवा निलंबित नहीं होता।

(3) यदि कोई शासकीय सेवक, सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के तत्काल पूर्व सेवा के दौरान असाधारण अवकाश पर रहा है अथवा निलंबित रहा है, जिसकी सेवा अवधि अर्हकारी नहीं मानी गई है, की परिलब्धियां वह है जो उसने ऐसे अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व अथवा निलंबित करने के पूर्व आहरित की हैं।

(4) यदि कोई शासकीय सेवक, अपनी सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु के तत्काल पूर्व, अर्जित अवकाश पर था तथा वेतनवृद्धि जिसे रोका नहीं गया था, अर्जित की है, ऐसी वेतनवृद्धि, यद्यपि वास्तविक रूप से आहरित नहीं की है, उसकी परिलब्धियां का हिस्सा होगी:

परंतु शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि की अगली तारीख को वार्षिक वेतनवृद्धि देय होने पर यह वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से पेंशन राशि निर्धारण के लिए गणना में ली जाएगी।

(5) बाह्य सेवा में रहते हुये शासकीय सेवक द्वारा आहरित वेतन परिलब्धियां के रूप में नहीं माना जाएगा, अपितु यदि वह बाह्य सेवा में नहीं गया होता तो शासन के अधीन उसके द्वारा जो वेतन आहरित किया जाता, केवल वही वेतन परिलब्धियां के रूप में माना जाएगा।

(6) यदि पेंशनभोगी शासकीय सेवा में पुनर्नियुक्त किया जाता है और उसने नियम 16 अथवा नियम 17 के निबंधनों के अनुसार अपनी पूर्व सेवा की पेंशन को कायम रखने का चयन किया है और पुनर्नियुक्ति पर जिसका वेतन उस धनराशि तक कम किया गया है जो उसकी पेंशन से अधिक नहीं है तो, पेंशन का वह भाग जिसके द्वारा उसके वेतन को कम किया गया है, को परिलब्धियां में शामिल किया जाएगा।

(7) शासन के किसी विभाग के स्वायत निकाय के रूप में संपरिवर्तित होने के फलस्वरूप यदि किसी शासकीय सेवक को उस निकाय में स्थानान्तरित किया जाता है और इस प्रकार स्थानान्तरित शासकीय सेवक यदि शासन के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति लाभों को प्रतिधारित रखने के लिये विकल्प देता है तो उस स्वायत्त निकाय के अंतर्गत प्राप्त परिलब्धियां, उसकी परिलब्धियों में शामिल होगी।

(8) ऐसे शासकीय सेवक के मामले में, जिसका वेतन प्रोफार्मा पदोन्नति या न्यायिक निर्णय या अन्य किसी कारण से काल्पनिक रूप से नियत किया गया है, तो काल्पनिक रूप से नियत किया गया वेतन उसकी परिलब्धियां के रूप में माना जाएगा।

(9) जहां किसी शासकीय सेवक की मृत्यु/सेवानिवृत्ति, दंड की अवधि के दौरान हो जाती है, जिसका प्रभाव केवल उस दंड की अवधि के दौरान उसके वेतन को कम करने का है और जिसके समाप्त होने पर उक्त दंड के किसी भी प्रभाव के बिना उसे अनुज्ञेय वेतन वापस मिल जाता है, तो इस तरह के दंड के प्रभाव की उपेक्षा करते हुए उसकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति दिनांक को काल्पनिक वेतन उसकी परिलब्धियां के रूप में माना जाएगा।

(10) किसी शासकीय सेवक का, उसकी सेवा के अंतिम माह के दौरान वेतन परिवर्तित होता है, तब उस शासकीय सेवक द्वारा उसकी सेवा के अंतिम माह के दौरान आहरण योग्य परिलब्धियों का औसत उसकी परिलब्धियां होगी।

## अध्याय- 5

## पेंशन के वर्ग और उसकी स्वीकृति विनियमित करने वाली शर्तें

29. **अधिवार्षिकी पेंशन.-** अधिवार्षिकी पेंशन ऐसे शासकीय सेवक को प्रदान की जाएगी, जो अपनी अधिवार्षिकी आयु को प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होता है। अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति स्वयंमेव प्रभावशील होगी। अत: अधिवार्षिकी पर

सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् की गई सेवा अनधिकृत होने के परिणामस्वरूप शासकीय सेवक को ऐसी अवधि के लिए वेतन, भत्तों की पात्रता नहीं होगी।

**30. निवृत्तिमान पेंशन.-**

(1) निवृत्तिमान पेंशन, ऐसे शासकीय सेवक को प्रदान की जाएगी जो,-

(क) नियम 37 या मूलभूत नियमों के नियम 56 के उपबंधों के अनुसार, अधिवर्षिकी आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है ; या

(ख) जो अतिशेष घोषित किए जाने पर, अतिशेष शासकीय सेवकों के लिए लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प देता है।

(2) ऐसा शासकीय सेवक, जो उस स्थापना में, जिसमें वह सेवारत था अतिशेष घोषित किए जाने पर, शासन द्वारा अधिसूचित, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए विकल्प देता है, तब उक्त योजना अनुसार देय परिलाभों एवं उप-नियम (1) के अनुसार पेंशन का पात्र होगा।

**31. निगम, कंपनी अथवा निकाय में अथवा उसके अधीन संविलयन होने पर पेंशन.-** शासकीय सेवक जिसे शासन द्वारा पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से नियंत्रित निगम अथवा कंपनी में अथवा उसके अधीन अथवा शासन द्वारा नियंत्रित अथवा वित्तीय सुविधा प्राप्त निकाय में अथवा उसके अधीन किसी सेवा के पद में संविलयन होने की अनुमति दी गई है, यदि ऐसा संविलयन जनहित में घोषित किया गया हो तो, उसे संविलयन के दिनांक से अथवा उसे लागू होने वाली ऐसी दिनांक से, जो शासन के आदेशों के अनुसार, अवधारित किया जाए, वह निवृत्तिमान पेंशन पर सेवा निवृत्त हुआ माना जाएगा और निवृत्तिमान लाभों को जिसका उसने चयन किया है अथवा चयन किया हुआ माना गया है प्राप्त करने का पात्र होगा।

**32. अशक्त पेंशन.-**

(1) किसी शासकीय सेवक को कोई निःशक्तता होने का मामला, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, उल्लिखित धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा:

परंतु ऐसा शासकीय सेवक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन यथाविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई शासकीय सेवक, ऐसी दशा में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, सेवानिवृत्त होने का इच्छुक है, वह अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी को आवेदन कर सकेगा:

परंतु, अशक्त पेंशन के लिए शासकीय सेवक के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, तथा ऐसा न होने पर शासकीय सेवक के परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकृत किया जाएगा, यदि नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि शासकीय सेवक शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है:

परंतु, यह भी कि ऐसा शासकीय सेवक, जिसे कोई निःशक्तता हुई हो और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का इच्छुक है, ऐसे शासकीय सेवक को यह सलाह दी जाएगी कि उसके पास उसी वेतन मैट्रिक्स और सेवा हितलाभों, जिनका वह अन्यथा हकदार है, के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है और यदि शासकीय सेवक इस नियम के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस नहीं लेता है, तो उसके अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी उप-नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक की जांच ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किए जाने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करेगा, अर्थात्-

(क) प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के मामले में चिकित्सा बोर्ड;

(ख) अन्य मामलों में सिविल सर्जन या समकक्ष चिकित्सा अधिकारी।

(4) चिकित्सा प्राधिकारी को यह विवरण भी भेजा जाएगा कि शासकीय अभिलेखों में आवेदक की आयु क्या है, और यदि आवेदक के लिए कोई सेवा अभिलेख रखा जा रहा है, तो अभिलिखित आयु सूचित की जानी चाहिए। परीक्षण के लिए अनुरोध करने वाले पत्र की प्रति शासकीय सेवक को पृष्ठांकित की जाएगी।

(5) शासकीय सेवक उस प्राधिकारी द्वारा नियत दिनांक को चिकित्सा परीक्षण के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। चिकित्सा प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगा, कि शासकीय सेवक आगे की सेवा के लिए योग्य है या नहीं अथवा वह जिस प्रकृति का कार्य करता रहा है, उससे कम श्रमसाध्य प्रकृति की सेवा और आगे करने के योग्य है।

(6) सेवा के लिए असमर्थता का कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा प्राधिकारी को शासकीय सेवक की चिकित्सा परीक्षा के लिए नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी से अनुरोध न मिला हो।

(7) जब किसी महिला अभ्यर्थी का परीक्षण किया जाना हो, तब चिकित्सा बोर्ड में एक महिला चिकित्सक को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा, इसी प्रकार उप-नियम 3 के खण्ड (ख) के मामलों में यदि सिविल सर्जन महिला नहीं है, तब महिला चिकित्सक को अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया जाएगा।

(8) जहां उप-नियम (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने उप-नियम (2) में उल्लिखित किसी शासकीय सेवक को आगे की सेवा के लिए योग्य नहीं पाया है या उसे जिस प्रकृति का कार्य वह करता रहा है, उससे कम श्रमसाध्य प्रकृति की सेवा और आगे करने के योग्य पाया है, तो चिकित्सा प्रमाणपत्र

जारी करेगा। यदि शासकीय सेवक को आगे की सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर अशक्त पेंशन अनुज्ञात की जाएगी।

(9) यदि शासकीय सेवक को, जिस प्रकृति का कार्य वह करता रहा है उससे कम श्रमसाध्य प्रकृति की सेवा और आगे करने के योग्य पाया जाता है, यदि वह इस प्रकार नियोजित होने का इच्छुक हो, तो निम्नतर पद पर नियोजित किया जाएगा और यदि उसे निम्नतर पद पर नियोजित करने के भी कोई साधन न हो, तो उसे अशक्त पेंशन अनुज्ञात की जाएगी।

(10) ऐसा शासकीय सेवक, जो इस नियम के अधीन दस वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही सेवानिवृत्त होता है, उसे भी अशक्त पेंशन प्रदान की जाएगी तथा उसके मामले में, पेंशन की रकम की संगणना अंतिम परिलब्धियों के 50% के आधार पर,की जाएगी:

परन्तु, उपर्युक्त अनुसार संगणित पेंशन, निम्नाकिंत शर्तों के अधीन न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी:-

(एक) ऐसे मामलों में उसकी शासकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व या नियुक्ति के पश्चात् उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसे शासकीय सेवा के लिए योग्य घोषित किया गया है; तथा

(दो) अशक्त पेंशन की अनुज्ञा के लिए इस नियम में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है।

**33. क्षतिपूरक पेंशन.-**

(1) यदि किसी शासकीय सेवक का, उसके पद की समाप्ति के कारण सेवामुक्त करने का चयन किया गया है, तो जब तक वह किसी दूसरे पद पर नियोजित नहीं किया जाता, तब तक वह निम्नानुसार विकल्प दे सकेगा,-

(क) उसके द्वारा की गई सेवा के बदले जिसके लिये वह पात्र होता क्षतिपूरक पेंशन लेने का ;अथवा

(ख) ऐसे पद पर जैसा कि प्रस्तावित किया जाय, कोई अन्य नियुक्ति जो कि वर्तमान धारित पद से न्यून वेतनमान की है, स्वीकार करने का और पेंशन के लिये अपनी पूर्व सेवा को जुड़वाने का।

(2) (क) शासकीय सेवक को, उसके पद की समाप्ति के परिणामस्वरूप उसकी सेवायें समाप्त किए जाने पर, कम से कम तीन माह पूर्व सूचना पत्र दिया जाएगा;

(ख) शासकीय सेवक को जहां उप-नियम (2) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार सूचना पत्र नहीं दिया गया है और जिस तारीख से उसकी सेवा समाप्त की गई है और अन्य कोई रोजगार नहीं दिया गया है तो उसे अपेक्षित समयावधि का वास्तविक सूचना पत्र दिये जाने की समयावधि में रही कमी के लिये उसे प्राप्त हो रहे वेतन और भत्तों की धनराशि का भुगतान, उसकी सेवाएं समाप्त करने वाला सक्षम प्राधिकारी स्वीकृत करेगा;

(ग) उस समयावधि के लिये जिसके सम्बन्ध में उसे सूचना पत्र के बदले में वेतन और भत्ते दिये गए हैं, न तो क्षतिपूरक पेंशन मिलेगी और न ही ऐसी समयावधि पेंशन के लिये अर्हतादायी होगी ।

(3) जिस प्रकरण में शासकीय सेवक को समयावधि में रही कमी के लिये वेतन और भत्ते स्वीकृत कि हैं और जिस समयावधि के उसने वेतन और भत्ते प्राप्त किए हैं, उस समयावधि की समाप्ति के पूर्व ही यदि उसे पुन: रोजगार में रख लिया जाता है तो उसके द्वारा ऐसे प्राप्त किए गए वेतन और भत्ते पुन:रोजगार में रखे जाने के बाद लौटाना होंगे।

(4) शासकीय सेवक, जो क्षतिपूरक पेंशन का पात्र है, उसके स्थान पर शासन के अधीन कोई अन्य नियुक्ति स्वीकार कर लेता है और तदनान्तर किसी अन्य वर्ग की पेंशन प्राप्त करने का पात्र हो जाए तो, ऐसी पेंशन की धनराशि, यदि उसने नियुक्ति स्वीकार न की होती तो जितनी क्षतिपूरक पेंशन के लिये वह दावेदार होता, से कम नहीं होगी।

**34. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन.-**

(1) शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किए गए शासकीय सेवक को, पेंशन या सेवानिवृत्ति उपदान, या दोनों ही, ऐसी दर पर, जो दो-तिहाई

से अन्यून और ऐसी पूरी अधिवर्षिकी पेंशन या उपदान या दोनों से जो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दिनांक को अनुज्ञेय हो, अनधिक हो, स्वीकृत की जाएगी।

(2) जब कभी किसी शासकीय सेवक की दशा में राज्यपाल ऐसा कोई आदेश (चाहे वह मूल आदेश हो, या अपीलीय हो या पुनर्विलोकन शक्तियों का प्रयोग करते हुए) पारित करता है, जिसमें इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन या उपदान से कम पेंशन या उपदान स्वीकृत की जाती है, तब ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन दी जाने वाली पेंशन और उपदान से संबंधित कार्यवाही अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी की जाएगी। जहां उप-नियम (1) के अधीन दी जाने वाली पेंशन और उपदान की मात्रा से संबंधित कार्यवाही यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी नहीं की जाती है, तो शासकीय सेवक को प्रावधिक पेंशन और प्रावधिक उपदान संस्वीकृत किया जाएगा।

(4) जहां शासकीय सेवक को उप-नियम (3) के अधीन प्रावधिक पेंशन और प्रावधिक उपदान संस्वीकृत किया जाता है, वहां उप-नियम (1) के अधीन अंतिम पेंशन और उपदान संदाय करने का आदेश, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने के तीन माह के भीतर जारी किया जाएगा और उप-नियम (1) के अधीन जारी आदेश के अनुसार अंतिम पेंशन और उपदान के संदाय होने तक प्रावधिक पेंशन का संदाय जारी रहेगा।

(5) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रदत्त या दी गई पेंशन या प्रावधिक पेंशन नियम 39 में उल्लिखित न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

**35. अनुकम्पा भत्ता.-**

(1) ऐसे शासकीय सेवक की जिसे सेवा से पदच्युत किया गया है या हटा दिया गया है, उसकी पेंशन और उपदान समपहृत हो जाएगा:

परंतु उसे सेवा से पदच्युत करने या हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यदि वह मामला ऐसा हो कि उस पर विशेष विचार किया जा सकता है तो, ऐसी पेंशन की दो-तिहाई से अनधिक ऐसा अनुकम्पा भत्ता, (जो उसे उस समय अनुज्ञेय होता जब वह अधिवर्षिक पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ होता), स्वीकृत कर प्राधिकार आदेश जारी करने के लिए पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को प्रकरण प्रेषित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, या तो स्वयं या शासकीय सेवक के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, यदि कोई हो, जांच करेगा कि क्या अनुकंपा भत्ता मंजूर किया जा सकता है और इस संबंध में, उप-नियम (1) के परंतुक के अनुसार, सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने की दिनांक से तीन माह के भीतर निर्णय लेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी,-

(क) सेवा से पदच्युत करने या हटाने के प्रत्येक मामले में उसके गुणदोष के आधार पर विचार करेगा कि क्या वह मामला अनुकंपा भत्ते की संस्वीकृति के लिए विशेष विचार करने लायक है और, यदि हां, तो उसकी सीमा क्या होगी;

(ख) इस प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, वास्तविक अवचार, जिसके कारण सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित की गई और शासकीय सेवक द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखेगा;

(ग) आपवादिक परिस्थितियों में अन्य सुसंगत बातों के साथ-साथ शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार के सदस्यों जैसे कारकों पर विचार करेगा।

(4) मंत्रि-परिषद के आदेश से पेंशन वापिस ली जाने की स्थिति में अनुकंपा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

(5) जहां सेवा से पदच्युत करने या हटा दिए जाने की शास्ति अधिरोपित करने का आदेश इन नियमों के प्रारंभ होने की दिनांक से पूर्व जारी किया गया था और सक्षम प्राधिकारी ने, उस समय, यह जांच नहीं की या निर्णय नहीं लिया कि उस मामले में कोई अनुकंपा भत्ता दिया जाना चाहिए था या नहीं,

वे प्राधिकारी इन नियमों के प्रारंभ होने की दिनांक से तीन माह के भीतर इस संबंध में निर्णय ले सकेंगे।

(6) ऐसा शासकीय सेवक जिस पर, इन नियमों के प्रारंभ होने की दिनांक के पूर्व सेवा से पदच्युत करने या हटा दिए जाने की शास्ति अधिरोपित की गई थी, उसे उपर्युक्त तीन माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात अनुकंपा भत्ता संस्वीकृत नहीं किया जाएगा:

परन्तु, इस नियमों के लागू होने की तिथि के तीन माह से अधिक अवधि पूर्व सेवा से पदच्युत अथवा सेवा से हटाए गए शासकीय सेवक के प्रकरणों को पुन: नहीं खोला जाएगा।

(7) उप-नियम (1) के परंतुक के अधीन संस्वीकृत अनुकंपा भत्ता नियम 38 के अधीन न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगा।

(8) नैतिक अधोपतन, के परिणामस्वरूप सेवा से पदच्युत अथवा हटाए गए शासकीय सेवक को अनुकम्पा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

**36. केन्द्र अथवा अन्य राज्य शासन में या उसके अधीन संविलयित किए जाने पर पेंशन.-**

(1) ऐसा शासकीय सेवक, जिसे केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्य शासन में उसके अधीन किसी सेवा के पद में संविलयन किए जाने की अनुज्ञा दे दी गई है, ऐसे संविलयन की दिनांक से राज्य शासन के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ समझा जाएगा और उप-नियम (2) के अध्यधीन ऐसा संविलयन होने पर, नियम 39 और नियम 40 के अनुसार संविलयन की दिनांक को अर्हक सेवा के आधार पर यथास्थिति, पेंशन या उपदान या दोनों प्राप्त करने के लिए पात्र होगा:

परन्तु शासकीय सेवक का संविलयन किया गया है, और केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्य शासन के द्वारा पेंशन अशंदान की मांग की जाती है, तब पेंशन अंशदान का भुगतान किया जाएगा।

(2) संविलयन की दिनांक से,-

(एक) संविलयन की दिनांक वह दिनांक होगी, जब वह संविलयन हेतु शासन से कार्यमुक्त किया जाता;

(दो) यदि वह केन्द्र शासन में पूर्व से प्रतिनियुक्ति पर रहता है, वह दिनांक होगी, जब से उसका त्यागपत्र शासन द्वारा स्वीकार किया गया है।

**अध्याय- 6**

**समयपूर्व सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति**

**37. यथास्थिति 20 अथवा 25 वर्ष की अर्हता सेवा के पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति.-**

(1) (क) शासकीय सेवक 20 वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण करने के पश्चात किसी भी समय नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को उस दिनांक से, जिसको कि वह सेवानिवृत्ति होना चाहता है, कम से कम एक माह पूर्व सूचना देकर, या उसके द्वारा एक माह की कालावधि की सूचना के लिए या उस कालावधि के लिए, जिसके लिए उसके द्वारा वास्तविक रूप से दी गई सूचना एक माह से कम होती हो, वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर सेवानिवृत्त हो सकेगा:

परंतु जहां नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी कथित सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति अनुज्ञा प्रदान करने से इंकार नहीं करता है, तो सेवानिवृत्ति कथित अवधि की समाप्ति की दिनांक से प्रभावी हो जाएगी:

परंतु यह और कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के सूचना पत्र को स्वीकृत करने और इस संबंध में आदेश पारित करने से पूर्व, नियुक्तिकर्ता अधिकारी यह समाधान कर लेगा कि शासकीय सेवक ने बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है:

परन्तु यह और भी कि उप-नियम (1) के खण्ड (क) निम्नलिखित संवर्गों के शासकीय सेवकों के लिए लागू नहीं होगा, जब तक कि उन्होने 25 वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण न कर ली हो,-

(एक) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का अध्यापन स्टॉफ, चिकित्सा, सह-चिकित्सा (पैरा-मेडिकल) और तकनीकी स्टॉफ;

(दो) श्रम विभाग, राज्य बीमा सेवाओं का चिकित्सा, सह-चिकित्सा (पैरा-मेडिकल) और तकनीकी स्टॉफ ;

(तीन) आयुष विभाग, का अध्यापन स्टॉफ चिकित्सा, सह-चिकित्सा (पैरा-मेडिकल) और तकनीकी स्टॉफ ;

(चार) पशुपालन विभाग, का अध्यापन स्टॉफ चिकित्सा, सह-चिकित्सा (पैरा-मेडिकल) और तकनीकी स्टॉफ:

परन्तु यह और भी कि ऐसा शासकीय सेवक, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना, जहां शासकीय सेवक निलंबन के अधीन हो, सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

ख) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, राज्य शासन के अनुमोदन से, लोकहित में किसी शासकीय सेवक को, उसकी 20 वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण करने के पश्चात या उसके द्वारा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, निर्धारित एक माह की सूचना देकर सेवानिवृत्त कर सकेगा:

परन्तु नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसे शासकीय सेवक को निर्धारित एक माह की सूचना के पूर्व भी सेवानिवृत्त किया जा सकेगा किन्तु ऐसी सेवानिवृत्ति पर शासकीय सेवक को ऐसी राशि का जो उसके वेतन तथा भत्तों की राशि के बराबर हो, यथास्थिति, सूचना की कालावधि के लिए उसी दर पर, जो वह, सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व आहरित कर रहा था या उस कालावधि के लिए जो ऐसे सूचना पत्र के एक माह से कम होती हो, का भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणी (1) उपरोक्त खंडों के अधीन किसी शासकीय सेवक के द्वारा सेवानिवृत्ति की नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को सूचना देने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसने यथास्थिति 20 अथवा 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है। इसी प्रकार, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी शासकीय सेवक को उपरोक्त खंड के अधीन सेवानिवृत्ति की स्वीकृति देते समय यह सुनिश्चित करेगा, कि शासकीय सेवक ने 20 अथवा 25 वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है।

टिप्पणी (2) यथास्थिति, सूचना की कालावधि, जो एक माह या एक माह से कम हो, की संगणना उस दिनांक से की जाएगी, जिसको वह

हस्ताक्षरित की जाकर रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा अन्य संचार माध्यम से संसूचित की गई हो। जहां सूचना व्यक्तिगत तामील की गई हो वहां कालावधि की संगणना, उसकी प्राप्ति की दिनांक से की जाएगी।

टिप्पणी (3) शासकीय सेवक को, आवेदन प्रस्तुत करने पर सूचना की कालावधि के दौरान ऐसा अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, जिसके लिए उन नियमों के अनुसार हकदार है:

परन्तु सूचना की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी (4) उस कालावधि के लिए पेंशन का भुगतान जिसके लिए किसी शासकीय सेवक को सूचना के बदले में वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया गया हो, नियम 30 के उप-नियम (2) के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(2) जहां सेवानिवृत्ति की सूचना, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक पर तामील की गई हो, वह सूचना वापस ली जाएगी, यदि पर्याप्त कारणों से ऐसा अपेक्षित हो बशर्ते कि संबंधित शासकीय सेवक सहमत हो।

(3) यदि कोई शासकीय सेवक ऐसी निःशक्तता होने पर, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, इस नियम के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना देता है, शासकीय सेवक को यह सलाह दी जाएगी कि उसके पास उसी वेतन मैट्रिक्स और सेवा हितलाभों जिनका वह अन्यथा हकदार है, के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है और यदि शासकीय सेवक, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपनी सूचना वापस नहीं लेता है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसके अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) ऐसा शासकीय सेवक, इन नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने के विकल्प का चयन करता है और इस आशय का सूचना पत्र नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करता है एवं उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है,

तब नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अपना सूचना पत्र वापस नहीं ले सकेगा:

परंतु सूचना पत्र वापस लेने का अनुरोध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की आशयित दिनांक से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व किया जाएगा।

(5) यह नियम किसी ऐसे शासकीय सेवक को लागू नहीं होगा, जो अतिशेष कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन सेवानिवृत्त होता है।

**स्पष्टीकरण:-** इस नियम के प्रयोजन के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो उस सेवा के पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है, जिससे शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होना चाहता है।

**38. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अर्हता सेवा को जोड़ना.-**

(1) नियम 37 के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक की आशयित सेवानिवृत्त की दिनांक पर जो अर्हता सेवा हो, उसमें ऐसी कालावधि की जो पांच वर्ष से अधिक नहीं हो, इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए वृद्धि की जाएगी कि शासकीय सेवक द्वारा की गई कुल अर्हता सेवा किसी भी मामले में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं हो और जो अधिवार्षिकी की तारीख के पश्चात् नहीं हो।

(2) उप-नियम (1) के अधीन उसकी अर्हता सेवा में वृद्धि, जो पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी, उसे पेंशन तथा उपदान की गणना के प्रयोजनों के लिए वेतन के काल्पनिक (नोशनल) निर्धारण का हकदार नहीं बनाएगी।

(3) यह नियम, ऐसे शासकीय सेवक को लागू नहीं होगा जो राज्य शासन में किसी स्वशासी निकाय या सार्वजनिक उपक्रम में जहां वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने के समय प्रतिनियुक्ति पर है, स्थायी रूप से संविलयन होने के लिए शासकीय सेवा से निवृत्त होता है।

(4) उप-नियम (1) के अधीन पांच वर्ष का अधिमान उन शासकीय सेवकों के मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा, जो नियम 37 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) या मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 56 के उप-नियम (2) के अधीन शासन द्वारा लोकहित में समय पूर्व सेवानिवृत्त किए गए हों।

## अध्याय- 7
## पेंशन और उपदान का विनियमन

**39. पेंशन की राशि.-**

(1) ऐसा शासकीय सेवक जो इन नियमों के उपबंधों के अधीन 10 वर्ष से अधिक अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त होता है, अर्हकारी सेवा के 33 वर्ष या इससे अधिक पूरे होने पर पेंशन की राशि शासकीय सेवक के अंतिम वेतन (नियम 28 में यथा परिभाषित) के 50 प्रतिशत के बराबर होगी। 33 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा की स्थिति में कुल अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुपातिक पेंशन की पात्रता होगी: (परन्तु न्यूनतम पेंशन वह होगी, जो समय-समय पर, शासन द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) सेवाकाल की गणना में अपूर्ण वर्ष के 3 माह या उससे अधिक की अवधि को पूर्ण छह माही अवधि के रूप में माना जाएगा तथा 3 माह से कम की अवधि को विचार में नहीं लिया जाएगा।

(3) पेंशन की धनराशि का निर्धारण, मासिक दर पर होगा और पूर्ण रूपयों में अभिव्यक्त किया जाएगा, और जहां पेंशन रुपये के किसी भाग मे आये, हों तो उसे अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा:

परन्तु, किसी भी दशा में इन नियमों में विहित अधिकतम पेंशन से अधिक पेंशन स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(4) जहां पेंशन की धनराशि, मध्यप्रदेश मूलभूत नियम में परिभाषित वेतन के आधार पर संगणित की गई है एवं जो न्यूनतम पेंशन जैसी कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए, से कम है, पेंशन राशि में अतिरिक्त वृद्धि करके अन्तर को पूरा किया जाएगा।

(5) ऐसे शासकीय सेवक की दशा में जिसने नौ वर्ष और नौ माह या अधिक किन्तु दस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा की है, इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी अर्हक सेवा दस वर्ष की होगी और वह उप नियम (1) के अनुसार पेंशन के लिए पात्र होगा।

**40. सेवा उपदान, सेवानिवृत्ति उपदान, मृत्यु उपदान एवं अवशिष्ट उपदान .-**

(1) सेवा उपदान:- ऐसे शासकीय सेवक जो नियम 29,30,31,32,33 एवं 34 के उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्त होता है किन्तु उन नियमों के अनुसार पेंशन की स्वीकृति के लिए पात्र नहीं होता है, तो वह सेवा उपदान पाने का पात्र होगा। सेवा उपदान की राशि प्रत्येक संपूरित षट्मासिक अवधि के लिये आधे माह की परिलब्धियों की दर से परिकलित की जाएगी।

(2) सेवा निवृत्ति उपदान:- ऐसे शासकीय सेवक को जिसने पांच वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूरी कर ली है और जो उप-नियम (1) के अधीन सेवा उपदान का पात्र है या नियम 39 के अनुसार पेंशन का पात्र हो गया है, तो उसके सेवानिवृत्त होने पर, अर्हतादायी सेवा की प्रत्येक संपूरित षट्मासिक अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के एक चौथाई के बराबर, परिलब्धियों के 16-1/2 गुना अधिकतम के अध्याधीन रहते हुए, सेवानिवृत्ति उपदान स्वीकृत किया जाएगा:

परन्तु इस नियम के अधीन देय सेवानिवृत्ति उपदान की धनराशि की अधिकतम सीमा वह होगी, जैसा कि समय-समय पर, शासन द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(3) मृत्यु उपदान:- यदि किसी शासकीय सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को नियम-41 के उपबंधों में उपदर्शित रीति से मृत्यु उपदान नीचे दी गई सारणी में दी गई दरों के अनुसार दिया जाएगा, अर्थात:-

| अनु.क्र. | अर्हक सेवा की अवधि | मृत्यु उपदान की दर |
|---|---|---|
| (एक) | एक वर्ष से न्यून | परिलब्धियों के दो गुने |
| (दो) | एक वर्ष या अधिक किन्तु पांच वर्ष से न्यून | परिलब्धियों के छह गुने |
| (तीन) | पांच वर्ष से अधिक किन्तु 24 वर्ष से न्यून | परिलब्धियों के बारह गुने |
| (चार) | 24 वर्ष से अधिक | अर्हक सेवा पूरी की गई प्रत्येक षट्मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा, किन्तु अधिकतम $16\frac{1}{2}$ गुना |

(4) अवशिष्ट उपदानः- यदि कोई शासकीय सेवक,जो सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति उपदान या पेंशन का पात्र है, जिसके अंतर्गत शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी सम्मिलित है, सेवानिवृत्ति की दिनांक से पांच वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय उसके द्वारा प्राप्त उपदान की राशि उसकी परिलब्धियों की बारह गुना राशि से कम है तो जितनी राशि कम होगी, उसके बराबर अवशिष्ट उपदान, नियम 41 के उप-नियम (1) में उपदर्शित रीति से उसके परिवार को दिया जाएगा।

(5) इस नियम के अधीन अर्हक सेवाकाल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन माह के बराबर या उससे अधिक हो, को संपूरित षट्मासिक अवधि माना जाएगा और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(6) इस नियमों के अधीन अनुज्ञेय उपदान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां नियम 28 के अनुसार संगणित की जाएगी:

परंतु यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की दिनांक को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियाँ मानी जाएगी।

टिप्पणी: उपदान की रकम पूर्ण रुपये में अभिव्यक्त की जाएगी और जहाँ उपदान में रुपये का भाग अन्तर्विष्ट है वहां उसे रुपये के निकटतम उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए शासकीय सेवक के संबंध में "परिवार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है;-

(एक). पुरूष शासकीय सेवक की दशा में, पत्नी

(दो). महिला शासकीय सेवक की दशा में, पति

(तीन). पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तक गृहीत पुत्र भी है,

(चार). अविवाहित पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहीत पुत्रियां भी है।

(पांच). विधवा या तलाकशुदा पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक पुत्रियां भी हैं,

(छह). माता एवं पिता,

(सात). बिना किसी आयु सीमा के ऐसे भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं, जो मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार

41

या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं और अन्य मामलों में अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं;

(आठ). अविवाहित बहनें, विधवा बहनें और तलाकशुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें शामिल हैं;

(नौ). विवाहित पुत्रियां,

(दस). मृत पुत्र या पुत्रियों की संतानें,

**41. व्यक्ति जिन्हें उपदान देय है.-**

(1) (क) नियम 40 के अधीन देय उपदान का भुगतान पेंशनभोगी या उसके मृत होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को होगा, जिन्हें नियम 43 के अधीन नामांकन के माध्यम से उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

(ख) यदि ऐसा कोई नामांकन नहीं है या किया गया नामांकन अस्तित्व में नहीं है तो उपदान नीचे उपदर्शित किए अनुसार संदत्त किया जाएगा-

(एक) यदि नियम-40 के उप-नियम (6) के नीचे स्पष्टीकरण में (एक) (दो) (तीन) (चार) एवं (पांच) के अनुसार परिवार के एक या अधिक उत्तरजीवी सदस्य हों, तो समस्त ऐसे सदस्यों को समान अंशों में,

(दो) यदि ऊपर दिये गए उप खंड के अनुसार परिवार में ऐसे कोई उत्तरजीवी सदस्य नहीं हो, किन्तु नियम 40 के उप-नियम (6) के स्पष्टीकरण में खंड (छह) से (दस) के अनुसार एक या अधिक सदस्य हों तो समस्त ऐसे सदस्यों को समान अंशों में।

(2) यदि किसी नामनिर्देशिती की मृत्यु शासकीय सेवक की मृत्यु से पूर्व हो जाती है और नियम 40 के उप-नियम (6) के अधीन उस नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया है या अन्य व्यक्ति के संबंध में किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है या इसमें उल्लिखित किसी भी आकस्मिकता के घटित होने पर नामनिर्देशन

अविधिमान्य हो गया है, तो ऐसे नामनिर्देशिती के संबंध में उपदान का हिस्सा परिवार के अन्य सभी सदस्यों को समान रूप से संवितरित किया जाएगा, जो शासकीय सेवक की मृत्यु की दिनांक पर पात्र और जीवित थे।

(3) यदि शासकीय सेवक की मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात नियम 40 के उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञेय उपदान प्राप्त किए बिना ही हो जाती है, तो उपदान का संदाय इस नियम के उप-नियम (1) में उपदर्शित रीति से परिवार को संवितरित कर दिया जाएगा।

(4) ऐसे शासकीय सेवक के, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात हो जाती है, परिवार की किसी महिला सदस्य अथवा उस शासकीय सेवक के किसी भाई के उपदान के किसी अंश को पाने के अधिकार पर उस दशा में प्रभाव नहीं पडेगा, जब शासकीय सेवक की मृत्यु के पश्चात और उपदान के अपने अंश को प्राप्त करने से पूर्व वह महिला सदस्य विवाह कर लेती है अथवा पुनर्विवाह कर लेती है अथवा भाई अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है।

(5) जहां कि नियम 40 के अधीन मृत शासकीय सेवक के परिवार के किसी अवयस्क सदस्य को कोई उपदान स्वीकृत किया जाए, वहां वह उस अवयस्क की ओर से संरक्षक को संदेय होगा।

(6) किसी नैसर्गिक संरक्षक की अनुपस्थिति में, अवयस्क के उपदान के हिस्से के बीस प्रतिशत का संदाय संरक्षकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना, किन्तु क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने पर संरक्षक को किया जाएगा और अवयस्क के उपदान की शेष राशि संरक्षकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर संरक्षक को संदेय होगी।

(7) यदि इस नियम के अधीन उपदान प्राप्त करने के लिए परिवार के एक से अधिक सदस्य पात्र हैं और यदि परिवार के किसी सदस्य ने उपदान के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, तो उपदान की स्वीकृति के लिए मामले पर उसका दावा प्राप्त होने के बाद कार्यवाही की जाएगी और उपदान की स्वीकृति के लिए परिवार के अन्य पात्र सदस्यों के मामले पर परिवार

के उस सदस्य के मामले से जोडे बिना, कार्यवाही की जाएगी जिसने दावा प्रस्तुत नहीं किया है:

परंतु ऐसे सदस्य द्वारा तत्पश्चात दावा प्रस्तुत करने पर उस सदस्य को उपदान के देय अंश के भुगतान की स्वीकृति दी जाएगी।

**42. किसी व्यक्ति का उपदान प्राप्त करने का विवर्जन.-**

(1) यदि कोई व्यक्ति जो, शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान हुई मृत्यु की दशा में, नियम 41 के उपबंधों के अनुसार उपदान प्राप्त करने के लिये पात्र है, उस शासकीय सेवक की हत्या के अपराध अथवा ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिये आरोपित किया गया है, उसके विरुद्ध संस्थित दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति तक उपदान के उसके हिस्से को प्राप्त करने का उसका दावा निलम्बित रहेगा।

(2) यदि संबंधित व्यक्ति, उप-नियम (1) में संदर्भित दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति पर,-

(क) शासकीय सेवक की हत्या अथवा हत्या के दुष्प्रेरण करने के लिये सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो उपदान का उसका हिस्सा प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जाएगा जो कि परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को भुगतान योग्य होगा:

(ख) शासकीय सेवक की हत्या अथवा हत्या के दुष्प्रेरणा करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उपदान का उसका हिस्सा उसे भुगतान किया जाएगा।

**43. नामांकन.-**

(1) (क) पेंशन योग्य सेवा के पद पर अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति होने पर शासकीय सेवक एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को मृत्यु उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान और जीवन काल की बकाया राशि प्राप्त करने हेतु पेंशन सॉफ्टवेयर में नामांकन प्रस्तुत करेगा;

(ख) नामांकन करते समय-

(एक) शासकीय सेवक का परिवार है तो उसके परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन नहीं होगा:

(दो) शासकीय सेवक का परिवार नहीं है, तो अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन किया जाएगा।

(2) यदि शासकीय सेवक उप-नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो नामित व्यक्ति को देय राशि का हिस्सा वह नामांकन में इस प्रकार निर्दिष्ट करेगा, कि उपदान की संपूर्ण राशि का भुगतान हो जाए।

(3) शासकीय सेवक नामांकन में निम्नलिखित व्यवस्था करेगा:-

(एक) किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्ति के संबंध में जिसकी मृत्यु उस शासकीय सेवक से पूर्व हो जाए अथवा जिसकी मृत्यु शासकीय सेवक की मृत्यु के बाद परन्तु उपदान का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व हो जाए तो उस नाम निर्देशित को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को अंतरित हो जाएगा, जैसा कि नामांकन में निर्दिष्ट किया गया है:

परन्तु यदि नामांकन करते समय शासकीय सेवक के परिवार में एक से अधिक सदस्य हैं, तो इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के सदस्य के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां शासकीय सेवक के परिवार में केवल एक ही सदस्य हो और उसके पक्ष में नामांकन किया गया है, तब किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक नामनिर्देशिती अथवा निर्देशितियों का नामांकन करने का शासकीय सेवक को अधिकार होगा;

(दो) नामांकन, उसमें उपबन्धित आकस्मिकता के घटित हो जाने की दशा में अविधिमान्य हो जाएगा।

(4) नामांकन करते समय जहां शासकीय सेवक का कोई परिवार नहीं है अथवा जहाँ उसके परिवार में केवल एक ही सदस्य है, उप-नियम- (3) के खंड (एक) के द्वितीय परन्तुक के अधीन उस शासकीय सेवक द्वारा किया गया नामांकन, शासकीय सेवक के द्वारा पश्चातवर्ती परिवार अथवा परिवार में एक अतिरिक्त सदस्य अर्जित कर लेने की दशा में अविधिमान्य हो जाएगा।

(5) शासकीय सेवक किसी भी समय, पेंशन सॉफ्टवेयर में, नामांकन निरस्त/परिवर्तन कर सकता है, परन्तु इस क्रम में वह, इस नियम के अनुसार एक नया नामांकन करेगा।

(6) उप-नियम (3) के खंड (एक) के अधीन नाम निर्देशन जिसके पक्ष में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है की मृत्यु हो जाने की दशा में अथवा कोई घटना घटित हो जाने के कारण उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में नामनिर्देशन विधि मान्य नहीं है,तो शासकीय सेवक पेंशन साफ्टवेयर में तदनुसार नया नामनिर्दिष्ट करेगा।

(7) शासकीय सेवक द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन तथा निरसन हेतु दी गई प्रत्येक जानकारी जिस दिनांक को पेंशन साफ्टवेयर में अंकित होगी, उस दिनांक से वह प्रभावशील मानी जाएगी।

## अध्याय- 8
## परिवार पेंशन

**44. परिवार पेंशन.-**

(1) मृतक का परिवार यथास्थिति, शासकीय सेवक या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की मृत्यु की दिनांक के अगले दिन से परिवार पेंशन का हकदार होगा, यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु,-

(एक) सेवा के दौरान हो जाती है, बशर्ते कि नियुक्ति के समय उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ था तथा शासन के अधीन नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाया गया था; अथवा

(दो) सेवानिवृत्त होने के पश्चात मृत्यु हो जाती है और वह मृत्यु की दिनांक को इन नियमों में निर्दिष्ट पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहा था।

(2) जिन प्रकरणों में पूर्व पेंशन स्थायी रूप से वापिस ली गई है, उन प्रकरणों में परिवार पेंशन की पात्रता नहीं होगी:

परंतु जिन प्रकरणों में पेंशन का कोई अंश रोका गया है, ऐसी स्थिति में परिवार पेंशन की पात्रता होगी।

(3) (एक) उप-नियम (1) के खंड (एक) एवं (दो) के अधीन, परिवार पेंशन

की न्यूनतम और अधिकतम राशि वह होगी, जो शासन समय समय पर निर्धारित करे;

(दो) जहां किसी शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, परिवार को संदेय परिवार पेंशन की दर, अंतिम परिलब्धियों (नियम 28 में यथापरिभाषित) के पचास प्रतिशत के बराबर होगी और ऐसी अनुज्ञेय रकम शासकीय सेवक की मृत्यु की दिनांक के ठीक अगली दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिये संदेय होगी;

(तीन) सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु होने पर सेवानिवृत्ति दिनांक से सात वर्ष की अवधि अथवा उस अवधि तक जिस दिनांक को पेंशनभोगी 69 वर्ष की आयु का हो जाता यदि वह जीवित होता, इनमें से जो भी पहले हो, उप-नियम (3) के खण्ड (दो) के अनुसार अवधारित परिवार पेंशन देय होगी:

परन्तु, इस नियम के अधीन स्वीकृत परिवार पेंशन की राशि किसी भी स्थिति में सेवानिवृत्ति पर स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं होगी;

(चार) परिवार पेंशन की संगणना- उपर्युक्त (दो) व (तीन) की स्थिति छोड़कर परिवार पेंशन की संगणना अंतिम परिलब्धियों (नियम 28 में यथा परिभाषित) के 30 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

परन्तु यह राशि न्यूनतम परिवार पेंशन, जैसा शासन समय-समय पर निर्धारित करे, से कम नहीं होगी।

(4) इन नियमों के लागू होने की या उसके पश्चात् परिवार पेंशन के लिये परिवार के पात्र सदस्यों को परिवार पेंशन की पात्रता उप-नियम 6 से उप-नियम (10) के उपबन्धों के अधीन, होगी।

(5) उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञेय परिवार पेंशन मासिक दरों पर निर्धारित की जाएगी और पूरे-पूरे रुपए में अभिव्यक्त की जाएगी। जहां परिवार पेंशन में राशि का कोई भाग पूर्णांक नहीं हो, उसे अगले उच्चतर राशि में पूर्णांकित कर दिया जाएगा:

परंतु किसी भी दशा में उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञेय परिवार पेंशन इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी।

(6) उस शासकीय सेवक का परिवार जिसकी मृत्यु "कार्यालय की जोखिम" अथवा 'कार्यालय की विशेष जोखिम' के परिणाम स्वरूप हुई है, जैसा कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण पेंशन)नियम, 1963 में परिभाषित है, इस नियम के अधीन परिवार पेंशन के लाभों का हकदार नहीं होगा। इसी प्रकार शासकीय सेवक, जो मध्यप्रदेश पुलिस शासकीय सेवक वर्ग (असाधारण परिवार पेंशन) नियम, 1965 के अधीन असाधारण पेंशन लाभों का हकदार है, इस नियम के अधीन परिवार पेंशन के लाभों का हकदार नहीं होगा।

(7) (क) मृत शासकीय सेवक/पेंशनभोगी के परिवार के सदस्यों को परिवार पेंशन निम्नानुसार क्रम में संदेय होगी, अर्थात्:-

(एक) उप-नियम (8) के उपबंधों के अधीन, पति या पत्नी,

(दो) उप-नियम (9) के उपबंधों के अधीन, संतान (दत्तक संतान और सौतेले संतान भी सम्मिलित हैं),

(तीन) उप-नियम (10) के उपबंधों के अधीन, मृत शासकीय सेवक/पेंशनभोगी के क्रमश: आश्रित माता, पिता,

(चार) उप-नियम (11) के उपबंधों के अधीन, मृत शासकीय सेवक या पेंशनभोगी के आश्रित सहोदर (अर्थात भाई या बहन) जो किसी मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त हों;

(ख) जहां, किसी महिला शासकीय सेवक या पेंशनभोगी द्वारा पति के विरुद्ध तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में लंबित है, या महिला शासकीय सेवक या पेंशनभोगी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) या दहेज प्रतिषेध अधिनियम , 1961 (1961 का 28) या भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अधीन अपने पति के विरुद्ध मामला दायर किया है, तो उक्त महिला शासकीय सेवक या पेंशनभोगी, संबंधित पेंशन

प्रस्तावक अधिकारी को लिखित रूप में इस आशय का अनुरोध कर सकती है कि, उपरोक्त किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु होने की स्थिति में, परिवार पेंशन उसके पति से पूर्व, उसके पात्र संतान को स्वीकृत की जाए तथा पात्र सन्तान के नहीं रहने पर पात्रता क्रम निम्नानुसार होगा:-

(एक) जहां मृतक महिला शासकीय सेवक/महिला पेंशनभोगी का उत्तरजीवी विधुर हो और महिला शासकीय सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दिनांक पर कोई संतान/संतानें परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं है, तो विधुर को परिवार पेंशन देय होगी।

(दो) जहां मृतक महिला शासकीय सेवक पेंशनभोगी का उत्तरजीवी विधुर हो और उसके साथ अवयस्क संतान हो या मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त कोई संतान हो, तो मृतक महिला शासकीय सेवक/पेंशनभोगी की परिवार पेंशन विधुर को देय होगी, बशर्ते वह ऐसी संतान का संरक्षक हो और यदि विधुर ऐसी संतान का संरक्षक नहीं बना रहता, तो ऐसे परिवार पेंशन उस संतान को, उस व्यक्ति के माध्यम से देय होगी जो ऐसी संतान का वस्तुतः संरक्षक हो। जहां अवयस्क संतान वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् परिवार पेंशन के लिए पात्र रहती है, ऐसी संतान को उसके वयस्कता की आयु प्राप्त करने के दिनांक से परिवार पेंशन देय होगी।

(तीन) परिवार पेंशन के लिए सभी संतानों की पात्रता समाप्त होने के पश्चात्, ऐसी परिवार पेंशन विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय होगी।

(8) (एक) इस उप-नियम के खंड (दो), (चार) के अध्यधीन परिवार पेंशन एक ही समय में मृतक शासकीय सेवक/पेंशनभोगी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को संदेय नहीं होगी;

(दो) जहां परिवार पेंशन परिवार के एक से अधिक सदस्य को एक ही समय में देय होगी, यह बराबर अंशों में दी जाएगी और यदि परिवार पेंशन के अंश में राशि का कोई भाग हो अपूर्णांक हो, तो उसे अगले उच्चतर राशि में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

(तीन) यदि मृतक शासकीय सेवक/पेंशनभोगी, अपने पीछे पति अथवा पत्नी को छोड़ जाए तो परिवार पेंशन उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसे पति अथवा पत्नी को मृत्यु की दिनांक तक या पुनर्विवाह होने तक जो भी पहले हो देय होगी और परिवार पेंशन के लिए पति अथवा पत्नी की पात्रता उसकी अन्य स्रोत से आय की राशि से प्रभावित नहीं होगी;

(चार) जहां किसी मृत शासकीय सेवक/पेंशनभोगी की परिवार के लिए किसी पात्र संतान के बिना कोई उत्तरजीवी विधवा हो, किंतु उसके किसी पूर्व पत्नी से जो जीवित नहीं है, पात्र संताने हैं, तो उप-नियम (9) में उल्लेखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली संतानें जन्म के क्रम में परिवार पेंशन के 50% अंश की हकदार होगी, जो उनकी माता को उस दशा में मिलता जब वह उस शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय जीवित होती। ऐसी संतान को या विधवा को देय परिवार पेंशन का अंश का संदाय बंद होने पर ऐसे अंश समाप्त नहीं होंगे, अपितु उप-नियम (9) के अनुसार इसके पात्र परिवार पेंशनभोगी को शत प्रतिशत अंश देय होगा:

परंतु यदि मृतक शासकीय सेवक/पेंशनभोगी परिवार पेंशन के लिए पात्र संतान सहित विधवा को छोड़ जाता है, तो विधवा की मृत्यु होने पर उसको देय परिवार पेंशन के अंश उप-नियम (9) के अनुसार उसकी संतानों को जन्म क्रम में देय होगा:

(पॉच) जहां मृतक शासकीय सेवक/पेंशनभोगी परिवार पेंशन के लिए किसी पात्र संतान के बिना ही विधवा छोड़ जाता है, किंतु उसके किसी अन्य पत्नी से जो जीवित नहीं है या जिससे

तलाक हो चुका हो या अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मी पात्र संतान उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता है तब परिवार पेंशन के अंश के लिए वह पात्र होगा;

(छह) जहां कोई मृतक शासकीय सेवक/पेंशनभोगी, विधिक रूप से पृथक्कृत पति अथवा पत्नी के साथ किसी अवस्यक संतान या मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त संतान को अपने पीछे छोड़ जाता है, तब पेंशन विधिक रूप से पृथक्कृत पति अथवा पत्नी को देय होगी, बशर्ते वह ऐसी संतान का संरक्षक हो और ऐसे संतान के लिए उत्तरजीवी व्यक्ति के संरक्षक न बने रहने पर ऐसी परिवार पेंशन उस व्यक्ति को संदेय होगी जो ऐसी संतान का संरक्षक हो;

(सात) जहां कोई मृतक शासकीय सेवक/पेंशनभोगी विधिक रूप से पृथक्कृत पति अथवा पत्नी के साथ किसी ऐसे संतान को अपने पीछे छोड़ जाता है, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका है, किंतु परिवार पेंशन के लिए पात्र है तो शासकीय सेवक के मृत्यु के पश्चात् परिवार पेंशन ऐसे संतान को देय होगी।

(9) (क) यदि मृतक शासकीय सेवक या पेंशनभोगी का कोई उत्तरजीवी विधवा या विधुर नही है अथवा यदि विधवा या विधुर की मृत्यु हो जाती है अथवा परिवार पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है, तो उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर परिवार पेंशन ऐसी संतान या संतानों को देय होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों,-

(एक) पुत्र (मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र के अलावा) (दत्तक पुत्र, सौतेला पुत्र और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात जन्मे पुत्र सम्मिलित हैं)

की दशा मेंअविवाहित पच्चीस वर्ष से कम आयु और अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं करता हो;

(दो) पुत्री (मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्री के अलावा) (दत्तक पुत्री, सौतेली पुत्री और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात जन्मे पुत्री सम्मिलित हैं) की दशा में अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा और अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं करती हो;

(तीन) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री (दत्तक पुत्री या पुत्री, सौतेला पुत्र या पुत्री और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मे पुत्र या पुत्री सम्मिलित है) की दशा में अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं करता/करती हो;

(ख) पुत्र या पुत्री, (मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री के अलावा) द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि अन्य स्त्रोतों से उसकी आय इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन न्यूनतम परिवार पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक है;

(ग) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त संतान द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा। यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कुल आय इस नियम के उप-नियम (3) के खंड (एक) के अधीन पात्र परिवार पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है;

(घ) जहां कोई मृतक शासकीय सेवक या पेंशनभोगी एक से अधिक संतानों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो परिवार पेंशन सर्वप्रथम पच्चीस वर्ष से कम आयु वाली संतानों को उनके जन्म के क्रम में देय होगी, जो इस उप-नियम के अधीन परिवार पेंशन के लिए पात्रता के सभी शर्तों को पूरा करते हो;

(ड.) ज्येष्ठ संतान तब तक परिवार पेंशन का हकदार होगा, जब तक कि वह पच्चीस वर्ष का नहीं हो जाता/जाती या विवाह/पुनर्विवाह नहीं हो जाता या अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ कर देता/देती, जो भी पहले हो और ज्येष्ठ संतान के पच्चीस वर्ष का हो जाने या विवाह/पुनर्विवाह हो जाने या अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने या उसकी मृत्यु हो जाने पर, उससे अगली संतान परिवार पेंशन पाने की पात्र हो जाएगी;

(च) जहां इस नियम के अधीन परिवार पेंशन किसी अवयस्क को स्वीकृत की जाए, उस अवयस्क की ओर से संरक्षक को संदेय होगी;

(छ) जहां परिवार पेंशन जुड़वा संतानों को देय हो, यह ऐसे संतानों को बराबर अंशों में संदेय होगी और जब उनमें से एक की पात्रता समाप्त हो जाए, तो उसका अंश दूसरी संतान को देय होगा और जब दोनों की पात्रता समाप्त हो जाए है तो परिवार पेंशन अगले पात्र एकल संतान या जुड़वे संतानों को देय होगी;

(ज) जहां किसी मृतक शासकीय सेवक या पेंशनभोगी के पच्चीस वर्ष के कम आयु के और परिवार पेंशन के लिए पात्र उत्तरजीवी पुत्र या पुत्री न हों अथवा ऐसे पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई हो या परिवार पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो गई हो, तो ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो जिसके कारण पच्चीस वर्ष की आयु का हो जाने पर भी वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ हो, को निम्न शर्तों के अध्याधीन परिवार पेंशन जीवनपर्यन्त देय होगी, अर्थात्:-

(एक) शासकीय सेवक या पेंशनभोगी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु से पहले निःशक्तता मौजूद हो;

(दो) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री शासकीय सेवक के दो या दो से अधिक संतानों में से एक हो, तो प्रारंभ में परिवार पेंशन खंड(घ) में उपवर्णित क्रम में पच्चीस वर्ष से कम आयु वाली संतानों को देय होगी, जब तक कि अंतिम संतान पच्चीस वर्ष का नहीं

हो जाती और तत्पश्चात् परिवार पेंशन खंड(ज)में निर्दिष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुनः आरंभ होगी और उसे जीवन पर्यन्त देय होगी;

(तीन) यदि एक से अधिक संतान खंड (ड.) में निर्दिष्ट निःशक्तता से ग्रस्त हो, तो परिवार पेंशन का संदाय उनके जन्म के क्रम में होगा और उनमें से कनिष्ठ को उससे ज्येष्ठ की पात्रता समाप्त होने या उसकी मृत्यु होने के पश्चात् परिवार पेंशन मिलेगी:

परंतु जहां परिवार पेंशन ऐसे जुड़वा बच्चों को देय हो, यह खंड(घ) में उपवर्णित रीति से संदत्त की जाएगी।

(चार) ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो, परिवार पेंशन का भुगतान, संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, जैसे वह अवयस्क हो, सिवाय शारीरिक रूप से निःशक्त पुत्र या पुत्री के मामले में जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो;

(पांच) ऐसे किसी भी पुत्र को परिवार पेंशन की आजीवन अनुज्ञा देने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान करेगा, निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ है और इसे निम्न द्वारा प्रमाणपत्र से साक्ष्यित किया जाएगाः-

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 क 49), दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकार; या

(ख) एक मेडिकल बोर्ड, जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनकी नामिनी और दो अन्य सदस्यों शामिल हो, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा,

जहां तक संभव हो, बालक की मानसिक या शारीरिक स्थिति को यथावत उपवर्णित करेगा;

(छह) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या ऐसे पुत्र या पुत्री जिन्हें संरक्षक के माध्यम से परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, वह निम्न से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा:

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49), दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 और शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या

(ख) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती और दो अन्य सदस्यों शामिल हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति मानसिक मंदता सहित नि:शक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, यदि नि:शक्तता स्थायी है तो एक बार और यदि नि:शक्तता अस्थायी है, तो हर पांच वर्ष में एक बार इस आशय का कि वह अभी खंड(ज) में निर्दिष्ट नि:शक्तता से ग्रस्त है;

(सात) मानसिक रूप से मंद पुत्र या पुत्री की दशा में परिवार पेंशन, यथास्थिति, शासकीय सेवक या पेंशनभोगी द्वारा नामित व्यक्ति को देय होगी और यदि ऐसे शासकीय सेवक या पेंशनभोगी द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान कार्यालय प्रमुख को ऐसे कोई भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो यथास्थिति, ऐसे शासकीय सेवक या पेंशनभोगी के पति/पत्नी द्वारा नामित व्यक्ति को संदेय होगी और बाद में उक्त अधिनियम में यथा उपदर्शित स्वरपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुल नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति की बाबत परिवार पेंशन के लिए संरक्षक के नामांकन या उसकी नियुक्ति के लिए, स्थानीय स्तर की समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का

44) की धारा 14 के अधीन जारी किया गया संरक्षकता प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जाएगा;

(झ) खंड (ज) में निर्दिष्ट नि:शक्तता से ग्रस्त संतान विवाह करने पर इस उप-नियम के अधीन परिवार पेंशन के लिए अपात्र नहीं होगा;

(ञ) जहां खंड(घ) या खंड(ज) के अधीन परिवार पेंशन के लिए किसी मृतक शासकीय सेवक या पेंशनभोगी का पात्र पुत्र या पुत्री उत्तरजीवी नहीं हो अथवा यदि खंड(घ) या खंड (ज) के अधीन परिवार पेंशन के लिए पात्र पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाए अथवा वह उन खंडो में विहित परिवार पेंशन के लिए पात्रता की शर्तें पूरी न करे, तो पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक किसी अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को आजीवन अथवा उसका विवाह या पुनर्विवाह होने तक, या उसका आजीविका उपार्जन प्रारंभ करने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिवार पेंशन अनुज्ञात होगी या परिवार पेंशन का संदाय जारी रहेगा, अर्थात्:-

(एक) खंड (घ) में उपवर्णित क्रम को कुटुंब पेंशन प्रारंभ में देय होगी जब तक अंतिम संतान पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती;

(दो) खंड(ड.) के अनुसार परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई नि:शक्त संतान नहीं है;

(तीन) अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री अपने पिता/माता अथवा माता-पिता पर आश्रित थी जब वह जीवित था/थी, वे जीवित थे;

(चार) जहां कोई मृतक शासकीय सेवक या पेंशनभोगी अपने पीछे पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक एक से अधिक अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को छोड़ जाता है, तो परिवार पेंशन उनके जन्म के क्रम में, प्रथमतः ऐसी पुत्री को देय होगी

जो इस उप-नियम के अधीन परिवार पेंशन की अनुज्ञा के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती हो;

(पाचं) ज्येष्ठ पुत्री अपना विवाह या पुनर्विवाह होने तक अथवा अपनी आजीविका उपार्जन प्रारंभ करने तक, जो भी पहले हो, परिवार पेंशन के लिए हकदार होगी और ज्येष्ठ पुत्री के विवाह या पुनर्विवाह, होने पर या अपनी आजीविका उपार्जन प्रारंभ करने पर या उसकी मृत्यु होने पर, अगली कनिष्ठ पुत्री परिवार पेंशन के लिये पात्र होगी;

(छह) विधवा पुत्री की दशा में, उसके पति के मृत्यु और तलाकशुदा पुत्री की दशा में, उसका तलाक, शासकीय सेवक या पेंशनभोगी या उसके/ उसके पति/पत्नी के जीवित रहते हुए हुआ हो:

परंतु परिवार पेंशन तलाकशुदा पुत्री को उसके तलाक की दिनांक से तब देय होगी जहां शासकीय सेवक या पेंशनभोगी या उसके/उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए सक्षम न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दायर की गई थी, किंतु तलाक उनकी मृत्यु के पश्चात हुआ:

परंतु यह और कि, शासकीय सेवक या पेंशनभोगी और उसके या उसके पति/पत्नी की मृत्यु होने पर परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पुत्री के तलाक की तारीख से पूर्व परिवार पेंशन संदेय हो गई हो, तो ऐसी तलाकशुदा पुत्री को परिवार पेंशन तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि उपरोक्त सदस्य परिवार पेंशन के लिए अपात्र न हो जाए या उसकी मृत्यु न हो जाए;

(ट) जहां कोई मृतक शासकीय सेवक या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं या एक विधवा या तलाकशुदा पत्नी से या एक विधवा या तलाकशुदा पत्नी से जन्मी संतानों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो इस उप-नियम में उल्लिखित पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाली संतान या संतानें परिवार

पेंशन के अंश के हकदार होंगे, जो शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु होने के समय उनकी माता को मिलता, यदि यथास्थिति, वह जीवित होती या उसका तलाक नहीं हुआ होता;

(ठ) जहां विधवा या तलाकशुदा पत्नी से जन्मे, एक से अधिक संतानें हैं, तो ऐसी संतानों को इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट रीति से परिवार पेंशन का अंश देय होगा;

(ड.) जहां ऐसी संतान या संतानों के लिए देय परिवार पेंशन के अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, परिवार पेंशन का ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, आपितु अन्य विधवा या तलाकशुदा पत्नी से जन्मे अन्यथा पात्र, संतान या संतानों को बराबर अंशों में देय होगा अथवा यदि केवल एक ही संतान है, तो पूर्ण रूप से ऐसी संतान को देय होगा;

स्पष्टीकरण:- 'पुत्र' या 'पुत्री' अभिव्यक्ति में क्रमशः मरणोत्तर पुत्र या मरणोत्तर पुत्री सम्मिलित होगी;

(ढ) अविवाहित पुत्र अथवा अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, निःशक्त पुत्र या पुत्री को छोड़कर, अपना विवाह या पुनर्विवाह होने की तारीख से, परिवार पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा/जाएगी।

(ण) ऐसे किसी पुत्र अथवा पुत्री को देय परिवार पेंशन बंद कर दी जाएगी, जो अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ कर देता / देती है;

(त) ऐसे पुत्र या पुत्री अथवा संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि:-

(एक) उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है; और

(दो) उसका अभी तक विवाह या पुनर्विवाह नहीं हुआ है और इसी प्रकार का प्रमाणपत्र मानसिक और शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री द्वारा पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है।

(10) जहां किसी मृत शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की परिवार पेंशन के लिए पति अथवा पत्नी अथवा पात्र संतान उत्तरजीवी नहीं है या यदि पति अथवा पत्नी और सभी संतानों की परिवार पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो गई है, तो उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर परिवार पेंशन क्रमशः माता, पिता को आजीवन देय होगी, यदि क्रमशः माता, पिता शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पूर्व उस पर आश्रित थे।

**स्पष्टीकरणः-** माता,पिता शासकीय सेवक पर आश्रित समझे जाएंगे, यदि उनकी संयुक्त आय उप-नियम (2) के अधीन न्यूनतम पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के योग से कम है। माता, पिता का यह कर्तव्य होगा, कि वे वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है। माता,पिता को देय परिवार पेंशन उनकी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने पर बंद कर दी जाएगी।

(11) (क) जहां किसी मृतक शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की परिवार पेंशन के लिए पात्र विधवा/विधुर, अथवा संतान अथवा माता,पिता उत्तरजीवी न हो या यदि परिवार पेंशन के लिए शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर, संतान और माता,पिता की पात्रता समाप्त हो गई हो, तो उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर परिवार पेंशन शासकीय सेवक या पेंशनभोगी के आश्रित मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त सहोदरों को आजीवन देय होगी यदि सहोदर शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पूर्व उस पर पूर्णतः आश्रित थे;

(ख) ऐसा सहोदर उसी रीति से और पात्रता की उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी निःशक्तता मानक का अनुसरण करते हुए, परिवार पेंशन के लिए आजीवन पात्र होगा, जैसा कि शासकीय सेवक या पेंशनभोगी के संतान की दशा में उप-नियम (8) में यथा अधिकथित है;

परंतु परिवार पेंशन ऐसे सहोदर को तब देय होगी, जब निःशक्तता शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु से पूर्व मौजूद हो।

**स्पष्टीकरण:-** मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त सहोदर शासकीय सेवक या पेंशनभोगी पर आश्रित समझा जाएगा यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कुल आय इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन संबंधित शासकीय सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु पर देय, अनुज्ञेय परिवार पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के योग से कम है;

(ग) ऐसे सहोदर का यह कर्तव्य होगा, कि वह वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है और ऐसे सहोदर को देय परिवार पेंशन उनकी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने पर बंद कर दी जाएगी।

**स्पष्टीकरण:-** इस नियम के प्रयोजन के लिए मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त संतान या सहोदर के अलावा परिवार के अन्य सदस्य द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि अन्य स्त्रोतों से उसकी आय, इस नियम के उप-नियम (2) अधीन न्यूनतम परिवार पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के समतुल्य या अधिक है।

(12) (क) शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति के लिए अनुज्ञेय परिवार पेंशन को, अन्य शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, इस नियम के अधीन परिवार पेंशन की पात्रता के अवधारण के प्रयोजन के लिए आय के रूप में नहीं माना जाएगा, इस शर्त के अध्यधीन कि दोनों परिवार पेंशनों का योग उप-नियम (13) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा;

(ख) (एक) इस नियम के अधीन परिवार पेंशन के लिए पात्रता तय करने के लिए, मृतक शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर के अलावा, परिवार के अन्य सदस्य द्वारा दाखिल अंतिम आयकर विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी;

(दो) यदि उक्त परिवार सदस्य सूचित करता है कि उसने आयकर विभाग के साथ अंतिम आयकर विवरणी दाखिल नहीं किया

है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा;

(ग) किसी शासकीय सेवक या किसी पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर परिवार पेंशन का दावा करते समय, संबंधित व्यक्ति स्पष्ट करेगा कि क्या उसे अन्य शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की बाबत पहले से परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है या नहीं और यदि ऐसा है, तो वह उसे मिलने वाली परिवार पेंशन रकम उपदर्शित करेगा;

(घ) पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को देय परिवार पेंशन की रकम अवधारित करते समय, इस विषय में दावेदार द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखेगा और सुनिश्चित करेगा, कि उस व्यक्ति को देय पेंशन की रकम उप-नियम (13) में विनिर्दिष्ट परिसीमा से अधिक न हो।

(13) यदि पत्नी और पति दोनों ही शासकीय सेवक हों और इस नियम के उपबंधों द्वारा शासित होते हों और उनमें से एक की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाए, तो मृतक की बाबत परिवार पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय हो जाएगी तथा उस पति और पत्नी की मृत्यु की दशा में मृतक माता-पिता की बाबत उत्तरजीवी संतानों को दो परिवार पेशनें, नीचे विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, स्वीकृत की जाएगी, अर्थात्-

(एक) यदि उत्तरजीवी संतान उप-नियम (2) में वर्णित दर से दो परिवार पेंशन पाने का पात्र है या पाने के पात्र हैं, तो दोनों परिवार पेंशनों की रकम का योग तत्समय प्रचलित वेतन मानों के अधिकतम वेतनमान के अंतिम प्रक्रम के 50 प्रतिशत, प्रतिमाह तक सीमित रहेगी;

(दो) यदि परिवार पेंशनों में से एक उप-नियम (2) में वर्णित दरों में संदेय नहीं रह जाती और उसके बदले में उप-नियम (2) के खंड (चार) में वर्णित दर से पेंशन संदेय हो जाती है तो दोनों पेशनों की रकम का योग तत्समय प्रचलित वेतनमानों के अधिकतम वेतनमान के अंतिम प्रक्रम के 50 प्रतिशत राशि प्रतिमाह तक सीमित रहेगी;

(तीन) यदि दोनों ही परिवार पेंशनें उप-नियम (2) में वर्णित दरों से संदेय है तो दो परिवार पेंशनों की राशि का योग तत्समय प्रचलित न्यूनतम पेंशन की दोगुनी, प्रतिमाह तक सीमित रहेगी।

(14) (क) किसी शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की संतान, उक्त शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर परिवार पेंशन का दावा करते समय स्पष्ट करेगा कि क्या वह इस नियम के अधीन माता/पिता के लिए परिवार पेंशन पाने का पात्र है या नहीं;

(ख) पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय परिवार पेंशन की रकम अवधारित करते समय इस विषय में दावेदार द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखेगा और सुनिश्चित करेगा, कि उस व्यक्ति को माता पिता दोनों की बाबत देय परिवार पेंशनों की राशि उप-नियम (12) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो;

(ग) यदि, कोई व्यक्ति जो सेवाकाल में शासकीय सेवक की मृत्यु की दशा में, इस नियम के अधीन परिवार पेंशन प्राप्त करने कि लिए पात्र है, शासकीय सेवक की हत्या के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक उसे परिवार पेंशन का संदाय नहीं किया जाएगा;

(घ) खंड (ग) के अधीन जिस अवधि के दौरान व्यक्ति को परिवार पेंशन का संदाय नहीं किया जाता है, शासकीय सेवक की मृत्यु की दिनांक के बाद की दिनांक से परिवार पेंशन के अन्य सदस्य, यदि कोई हो, को परिवार पेंशन का संदाय किया जाएगा:

परंतु यदि शासकीय सेवक के पति या पत्नी को शासकीय सेवक की हत्या के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है और परिवार का अन्य सदस्य मृतक शासकीय सेवक की अवयस्क संतान है, तो ऐसी अवयस्क संतान को परिवार पेंशन विधिवत नियोजित संरक्षक के माध्यम से देय होगी और अवयस्क संतान के माता या पिता परिवार पेंशन के आहरण के प्रयोजन के लिए संरक्षक नहीं बन सकेंगे;

(ङ) यदि खंड (ग) में निर्दिष्ट कार्यवाहियों की समाप्ति पर संबद्ध व्यक्ति,-

(एक) शासकीय सेवक की हत्या के लिए अथवा हत्या करने के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, ऐसा व्यक्ति, परिवार पेंशन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जाएगा, जिसका संदाय परिवार पेंशन के अन्य पात्र सदस्य को, यदि कोई हो जारी रहेगा;

(दो) शासकीय सेवक की हत्या करने अथवा हत्या करने के दुष्प्रेरणा के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषमुक्ति की दिनांक से परिवार पेंशन देय होगी और उस दिनांक से परिवार पेंशन के अन्य सदस्य को परिवार पेंशन बंद कर दी जाएगी:

परंतु यदि परिवार का कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं था या परिवार पेंशन संबंधित व्यक्ति के दोषमुक्त होने की दिनांक से पूर्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य को परिवार पेंशन मिलनी बंद हो गई, तो ऐसे व्यक्ति को परिवार पेंशन यथास्थिति, शासकीय सेवक की मृत्यु की दिनांक के पश्चात की दिनांक से या उस दिनांक से जिस दिनांक से परिवार के अन्य पात्र सदस्य को परिवार पेंशन मिलनी बंद हो गई थी संदेय होगी;

(च) खंड(ग)से खंड (ङ)के उपबंध शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी मृत्यु होने पर देय होने वाली परिवार पेंशन को भी लागू होंगे;

**स्पष्टीकरणः-** इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ शासकीय सेवक की हत्या करने या हत्या का दुष्प्रेरण करने के आरोप में आत्महत्या द्वारा मृत्यु के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप सम्मिलित होगा।

(15) (क) (एक) शासकीय सेवक अपने परिवार के विवरण कार्यालय प्रमुख के माध्यम से पेंशन साफ्टवेयर में दर्ज करेगा, जिसमें पति/पत्नी,

संतान, माता, पिता, और निःशक्त सहोदर से संबंधित सभी सुसंगत विवरण सम्मिलित होगें,

(दो) यदि शासकीय सेवक का कोई परिवार नहीं है, तो जैसे ही उसका कोई परिवार हो जाए वैसे ही वह, विवरण दर्ज करायेगा।

(ख) शासकीय सेवक अपने परिवार की सदस्य संख्या में हुए किसी भी पश्चातवर्ती परिवर्तन की जिसके अंतर्गत उसकी संतान का विवाह संबंधी तथ्य भी है, का विवरण दर्ज करायेगा;

(ग) जब और जैसे ही कोई संतान या आश्रित सहोदर उप-नियम (8) एवं (10) में निर्दिष्ट निःशक्तता से ग्रस्त हो जाए, जिसके कारण वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ हो जाए, तो इस तथ्य को खण्ड(क) के उपखण्ड(एक) के अनुसार (चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत समर्थित) पेंशन सॉफ्टवेयर में अद्यतन किया जाएगा।

(घ) मृतक शासकीय सेवक के परिवार के सदस्य के दावे को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि परिवार के ऐसे सदस्य का विवरण कार्यालय के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। यदि, इन नियमों के अधीन परिवार पेंशन की स्वीकृति के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता के संबंध में पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी का अन्यथा समाधान हो जाए, तो दावे को स्वीकार करेगा एवं विवरण पेंशन सॉफ्टवेयर में दर्ज करेगा।

(16) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे पुनर्नियोजित शासकीय सेवक पर लागू नहीं होगी, जो सिविल सेवा या सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो, यदि ऐसे पुनर्नियोजन पर, वह इस नियमों के अधीन पेंशन या सेवा उपदान के लिए पात्र नहीं है।

**45. लापता शासकीय सेवक या पेंशनभोगी या परिवार पेंशनभोगी के परिवार को पात्रता.-**

(1) (क) किसी शासकीय सेवक के लापता होने की दशा में, नियम 44 में

विनिर्दिष्ट दर पर तथा सेवा के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने की दशा में यथा लागू रीति में एवं पात्रता शर्तों के अध्यधीन परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को परिवार पेंशन देय होगी;

(ख) खंड (क) के अधीन परिवार पेंशन उस दिनांक के अगले दिन से देय होगी, जिस दिनांक तक शासकीय सेवक के लापता होने से पहले उसे अवकाश स्वीकृत किया गया था अथवा उस दिनांक से जिस दिनांक तक शासकीय सेवक को वेतन एवं भत्तों का भुगतान कर दिया गया था अथवा उस दिनांक से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो जो भी पश्चातवर्ती हो।

(2) किसी परिवार पेंशनभोगी के लापता होने की दशा में, नियम-44 में विनिर्दिष्ट दर पर तथा परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में यथालागू रीति से और पात्रता शर्तों के अध्यधीन , परिवार के ऐसे सदस्य या सदस्यों को देय होगी, जो परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात परिवार पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

(3) किसी शासकीय सेवक के या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के नियम-40 के अधीन अनुज्ञेय मृत्यु उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना लापता होने की दशा में या मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना ही दिवंगत होने की दशा में मृत्यु उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान की राशि यथालागू रीति से तथा पात्रता शर्तों के अध्यधीन, परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को देय होगी।

(4) (क) परिवार पेंशन के लिए परिवार के पात्र सदस्य या सदस्यों और नामनिर्देशितियों अथवा उपदान की रकम प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार पेंशन और उपदान के भुगतान के लिए दावे, संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात पेंशन प्रस्तावक अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। पेंशन प्रस्तावक अधिकारी तदनुसार देय परिवार पेंशन तथा उपदान

के लिए भुगतान आदेश पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित करेगा;

(ख) दावों के साथ क्षतिपूर्ति बंधपत्र सहित संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई रिपोर्ट और पुलिस से प्राप्त इस आशय की रिपोर्ट कि इस विषय में किए गए प्रयासों के बावजूद शासकीय सेवक या पेंशनभोगी या परिवार पेंशनभोगी का पता नहीं लगाया जा सका, की प्रति संलग्न होगी।

(5) उप-नियम(1)के खंड(क)में निर्दिष्ट किसी शासकीय सेवक के लापता होने की दशा में, परिवार पेंशन और उपदान के लिए परिलब्धियां, उसके लापता होने से पहले कर्तव्य पर रहने की अंतिम दिनांक अथवा, यदि वह अवकाश पर था, तो जिस दिनांक को उसे संस्वीकृत छुट्टी समाप्त हो गई, पर प्राप्त और परिलब्धियों के आधार पर क्रमशः नियम 44 और नियम 40 के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(6) (क) परिवार पेंशन, यथास्थिति, उप-नियम (1) या उप-नियम (2) अथवा उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट दिनांक से परिवार पेंशन का संदाय आरंभ होने की दिनांक तक की अवधि के लिए बकाया परिवार पेंशन सहित और उपदान की रकम का भुगतान, संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की दिनांक से छह माह की अवधि व्यतीत होने के पूर्व नहीं किया जाएगा:

परंतु यदि उपदान के भुगतान में विलंब हो जाए और यह विलंब प्रशासनिक त्रुटि या कारणों से हुआ हो, तो दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह की अवधि से आगे और देरी होने की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान नियम 54 के अनुसार किया जाकर ऐसे विलंब के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट शासकीय सेवक की दशा में, शासकीय सेवक की मृत्यु की पूर्णतः पुष्टि के पश्चात या पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, मृत्यु उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान देय होगा।

(7) इस नियम की कोई भी बात ऐसे शासकीय सेवक या पेंशनभोगी या परिवार पेंशनभोगी की दशा में लागू नहीं होगी, जो गायब हो गया हो और जिसके विरूद्ध धोखाधड़ी या गबन या किसी अन्य अपराध के आरोप की जांच चल रही हो या जिस पर ऐसे अपराधों का आरोप लगा हो या दोषसिद्ध हो।

(8) इस नियम के अधीन भुगतान प्राप्त करने के लिए परिवार के पात्र सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई भी भुगतान अधिकृत नहीं किया जाएगा।

**अध्याय- 9**

**महंगाई राहत**

**46. पेंशन और परिवार पेंशन पर महंगाई राहत.-**

(1) नियम 35 के अधीन अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले व्यक्तियों और परिवार पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों को राहत ऐसी दिनांक से ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि राज्य शासन, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे महंगाई राहत के रूप में दी जाएगी।

(2) ऐसे पेंशनभोगी जिन्होंनें अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सांराशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

(3) मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

(4) परिवार पेंशनभोगी जो केंद्रीय या राज्य शासन के विभाग में नियोजित है और नियम 44 के अनुसार अपने परिवार के किसी मृतक सदस्य की वाबत शासन से परिवार पेंशन आहरित करने का पात्र हो, उप-नियम(1)के अनुसार ऐसे नियोजन की अवधि के दौरान परिवार पेंशन पर महंगाई राहत आहरित करने के लिए पात्र बना रहेगा।

**अध्याय- 10**

**पेंशन और उपदान का अवधारण और प्राधिकृत किए जाने की प्रक्रिया**

**47. ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली में पेंशन मामलों पर कार्यवाही.-** जब तक कि संचालक, पेंशन के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो, शासकीय सेवकों के पेंशन मामलों पर कार्यवाही "पेंशन सॉफ्टवेयर" के माध्यम से की जाएगी।

48. **अधिवार्षिकी पर पेंशन प्ररूपों की तैयारी.-** पेंशन प्ररूपों की तैयारी, पेंशन भुगतान आदेश, उपदान भुगतान आदेश आदि जारी करने तथा भुगतान की प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी आदेश/दिशा-निर्देश अनुसार होगी।

49. **प्राधिकृत किए जाने के पश्चात पेंशन का पुनरीक्षण.-**

(1) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत पेंशन और परिवार पेंशन का, वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा किए गए वेतन पुनरीक्षण, वेतन पर भूतलक्षी प्रभाव डालने वाली घटना अथवा अर्हतादायी सेवा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जारी आदेश के सन्दर्भ में पुनरीक्षण किया जाएगा:

परन्तु पेंशनभोगी या परिवार पेंशनभोगी के अहितकर रूप में, पेंशन या परिवार पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

(2) पुनरीक्षण के फलस्वरूप मूल पेंशन भुगतान आदेश/उपदान भुगतान आदेश/ सारांशीकरण भुगतान आदेश क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपितु पुनरीक्षित प्राधिकार जारी किया जाएगा।

(3) प्रकरण, जिनमें न्यायालय आदेश के कारण वेतन/अर्हकारी सेवा की अवधि में परिवर्तन, के फलस्वरूप पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना है, को छोड़कर शेष अन्य प्रकरणों में शासनादेशों के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण का कार्य पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को, न्यायालयीन आदेश या अन्य किसी कारण से पदोन्नति/क्रमोन्नति /समयमान के फलस्वरूप वेतन अथवा अर्हकारी सेवा की अवधि में परिवर्तन की स्थिति में पेंशन/उपदान के पुनरीक्षण हेतु पेंशन प्रस्तावक अधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण की कार्यवाही की जाएगी:

परंतु पेंशन भुगतान आदेश/उपदान भुगतान आदेश/सारांशीकरण भुगतान आदेश में शासकीय सेवक के ऐसे विवरण, जिनसे पेंशन/ उपदान/ सारांशीकरण की राशि एवं पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, जैसे- शासकीय सेवक का नाम, पदनाम, पता, परिवार की जानकारी, परिवार पेंशनभोगी का नाम, कार्यालय का नाम, में त्रुटि सुधार हेतु या परिवर्तन की

स्थिति में पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार, पेंशन प्रस्तावक अधिकारी के प्रस्ताव के बिना पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा:

परंतु यह और कि भूतलक्षी प्रभाव से मंहगाई भत्ता बढ़ने पर उपदान का पुनरीक्षण पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वमेव किया जाएगा:

परंतु यह और भी कि वेतन आयोग के अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा जारी पेंशन के समेकन आदेशों के पालन में पेंशन समेकन पेंशन संवितरण आधिकारी द्वारा किया जाएगा।

50. **प्रावधिक पेंशन का पुनरीक्षण.-** प्रावधिक पेंशन का पुनरीक्षण समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों के अध्यधीन किया जाएगा।

51. **शासकीय आवास होने के मामले में कार्यवाही.-**

(1) सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों की सूची के आधार पर कार्यालय प्रमुख यह जांच करेगा, कि शासकीय आवास का शुल्क नियमित रूप से जमा किया जा रहा है, कार्यालय प्रमुख का दायित्व होगा, कि सेवानिवृत्ति की तिथि तक का आवास शुल्क संबंधित शासकीय सेवक से नियमित रूप से वसूल किया जाए। सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि शासकीय सेवक द्वारा शासकीय आवास रिक्त नहीं किया जाता है, तो संबंधित आवास शुल्क नियमित रूप से प्राप्त करने का दायित्व आवास के अधिपति विभाग तथा जिसके द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत अथवा पुनर्नियोजन अवधि में आवास धारण करने की अनुमति दी गई है की होगी।

(2) आवास शुल्क के संबंध में पृथक से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) जलकर एवं विद्युत शुल्क का भुगतान शासकीय सेवक द्वारा स्थानीय निकाय/विद्युत कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गए देयकों के आधार पर इन संस्थानों को किया जाता है। अतः जलकर/विद्युत शुल्क के अंतिम देयक की राशि जमा करने की तिथि को ही अमांग प्रमाण-पत्र आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा मान्य किया जाएगा। अंतिम देयक से आशय शासकीय सेवक द्वारा शासकीय आवास के अधिपत्य की तिथि तक है।

52. **प्रतिनियोजित शासकीय सेवक**.-प्रतिनियुक्ति पर अथवा बाह्य सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक के प्रकरण में पेंशन और उपदान प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही उस पेंशन प्रस्तावक अधिकारी के द्वारा की जाएगी, जिसके कार्यालय में शासकीय सेवक का सेवा अभिलेख संधारित है।

53. **पेंशन, उपदान और परिवार पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज.-**

(1) ऐसे सभी मामलों में, जहां इन नियमों के अनुसार पेंशन या परिवार पेंशन संदाय सेवा निवृत्ति/मृत्यु के तीन माह के पश्चात प्राधिकृत किया गया हो, जिसमें अधिवार्षिकी से अन्यथा सेवानिवृत्ति के मामले भी सम्मिलित हैं, और यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाता है कि संदाय में विलंब के लिए संबंधित पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी जिम्मेदार नहीं हैं, तो पेंशन या परिवार पेंशन या उपदान के बकायों पर ब्याज, तत्समय प्रचलित सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा:

परंतु इस उप-नियम के अधीन कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, यदि संदाय में विलंब, शासकीय सेवक या पेंशनभोगी या शासकीय सेवक के परिवार के सदस्य द्वारा पेंशन या परिवार पेंशन मामलों पर कार्यवाही करने के लिए शासन द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुपालन में असफलता अथवा विलम्ब के कारण हुआ है।

(2) ब्याज के भुगतान की स्वीकृति, संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जाएगी तथा प्रशासकीय विभाग विलंब के लिए जिम्मेदारी का निर्धारण करते हुए दोषी शासकीय सेवकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा ब्याज के लिए स्वीकृत राशि की पूर्णतः/अंशतः वसूली के आदेश भी करेगा।

54. **शासकीय आवास से संबंधित शोध्यों से भिन्न का समायोजन और वसूली.-**

(1) शासकीय आवास के अधिभोग से भिन्न शोध्यों के लिए, कार्यालय प्रमुख आधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की दशा में, सेवानिवृत्ति की दिनांक से एक वर्ष पूर्व तथा अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्ति होने की दशा में, सेवानिवृत्ति पर तत्काल या जैसे ही सेवानिवृत्ति का तथ्य कार्यालय

प्रमुख को ज्ञात हो, जो भी पहले हो, शोध्य अवधारित कर वसूली की कार्यवाही करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन यथानिर्धारित शोध्यों का, जिसके अंतर्गत वे शोध्य भी हैं जो तदन्तर जानकारी में आते हैं और निर्धारण उपरांत शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की दिनांक तक बकाया रहते हैं, का समायोजन शासकीय सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर संदेय सेवानिवृत्ति परिलाभों से किया जाएगा।

## अध्याय- 11

## पेंशनों का संदाय

**55. तिथि जब से पेंशन देय होगी.-**

(1) नियम 7 के उपबंधों के अध्याधीन परिवार पेंशन से भिन्न पेंशन उस तिथि से जिस तिथि को शासकीय सेवक, शासकीय सेवा में नहीं रहता है, देय होगी।

(2) परिवार पेंशन, शासकीय सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु होने अथवा परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु होने या अपात्र हो जाने की दिनांक के बाद की दिनांक से देय होगी।

(3) पेंशन जिसके अंतर्गत परिवार पेंशन भी है, उस दिन के लिए भी देय होगी, जिस दिन उसके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है।

**56. कोषालय नियमों का लागू होना.-** इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम यथा अनुरूप लागू होंगे।

## अध्याय- 12

## विविध

**57. लेखा परीक्षण.-**

(1) पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से जारी किए गए पेंशन/उपदान/सारांशीकरण आदेशों की लेखा परीक्षा संचालनालय, पेंशन अथवा शासन द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) केन्द्रीयकृत पेंशन कार्यालय में लेखा परीक्षण की सतत कार्यवाही होगी, जो कि प्रतिमाह जारी पेंशन स्वीकृतियों का न्यूनतम 25% अथवा संचालक, पेंशन द्वारा किए गए निर्धारण अनुसार होगा।

(3) पेंशन प्रस्तावक अधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, जिसके आधिपत्य में ऐसा कोई अभिलेख/जानकारी हो, जो उप-नियम (2) में उल्लेखित लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक हो,मांगे जाने पर उपलब्ध कराने के दायित्वाधीन होगा।

**58. पेंशन प्रकरणों के निवारण में दोषपूर्ण कार्यवाही.-**

पेंशन प्रकरणों के निवारण में दोषपूर्ण कार्यवाही में सम्मिलित होगा,-

(एक) ऐसी जानकारी के लिए पेंशन प्रकरण को लंबित करना जिसकी आवश्यकता पेंशन की पात्रता अथवा पेंशन, उपदान अथवा दोनों की राशि के निर्धारण के लिए न हो।

(दो) ऐसी जानकारी की मांग करना, जो प्रकरण में पूर्व से उपलब्ध हो, अथवा पूर्व में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जिसका सत्यापन किया जा सकता हो तथा उसके आधार पर प्रकरण को लंबित करना।

(तीन) पेंशन, प्रावधिक पेंशन, उपदान के भुगतान की पात्रता होने एवं तदविषयक आदेश प्राप्त होने के वावजूद भुगतान में पन्द्रह दिवस से अधिक का विलम्ब करना।

उपर्युक्त में संलिप्तता की स्थिति में दोषी शासकीय सेवक, अनुशासनात्मक कार्यवाही की परिधि में आएगा।

**59. जारी किए गए पेंशन भुगतान आदेश/उपदान भुगतान आदेश निरस्त करने की प्रक्रिया.-** न्यायालयीन निर्णय के पालन के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के सेवा में पुनर्स्थापन अथवा सेवानिवृत्ति तिथि में परिवर्तन की स्थिति में:-

(1) (एक) प्रशासकीय विभाग द्वारा सकारण आदेश जारी किया जाएगा, परन्तु ऐसा करने के पूर्व प्रकरण का परीक्षण कर विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवश्यकता अनुसार समस्त विधिक विकल्प का उपयोग किया जा चुका है;

(दो) आदेश जारी होने के तत्काल पश्चात कार्यालय प्रमुख (पेंशन प्रस्तावक अधिकारी) द्वारा पेंशन का आगामी भुगतान रोकने हेतु पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को सूचित किया जाएगा;

(तीन) प्रशासकीय विभाग द्वारा उप-नियम (1) के खण्ड (एक) के अंतर्गत जारी आदेश की प्रति,पेंशन भुगतान आदेश/उपदान भुगतान आदेश सहित तथा अन्य सेवानिवृत्ति स्वत्वों पर पुनः सेवा में लिए जाने के तत्काल पूर्व तक जितना भुगतान हुआ है,की एकमुश्त राशि लेखाशीर्ष 0071-[01]-{800} में जमा करने की चालान प्रति प्रस्तुत करने पर पेंशन भुगतान आदेश/उपदान भुगतान आदेश/संराशीकरण भुगतान आदेश निरस्त करने की अनुमति संचालक पेंशन के स्तर से दी जाएगी।

(2) (एक) पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी, पेंशन सॉफ्टवेयर में पेंशन भुगतान आदेश/उपदान भुगतान आदेश निरस्त करेगा;

(दो) वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त पेंशन भुगतान आदेश/उपदान भुगतान आदेश पेंशन सॉफ्टवेयर में निरस्त हो चुका है।

(3) (एक) जिन प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण पेंशन/उपदान निर्धारित हुई है और भुगतान प्रारंभ नहीं हुआ है, उन प्रकरणों में पेंशन/उपदान भुगतान आदेश को निरस्त करने की अनुमति संचालक, पेंशन द्वारा दी जाएगी। जिन प्रकरणों में भुगतान किया जा चुका है तब संचालक, पेंशन की अनुशंसा के आधार पर वित्त विभाग की स्वीकृति से पुनरीक्षण किया जाएगा;

(दो) ऐसे जारी पेंशन भुगतान आदेश/उपदान भुगतान आदेश के निरस्त करने की अनुमति संचालक पेंशन स्तर से दी जाएगी।

(4) संचालक, पेंशन से पूर्व में जारी पेंशन/उपदान भुगतान आदेश को निरस्त करने की अनुमति प्राप्त होने पर पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी पेंशन/उपदान भुगतान आदेश को निरस्त करते हुए, पेंशन सॉफ्टवेयर प्रणाली तथा इस संबंध में संधारित समस्त पंजियों/अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा, कि निरस्त किए गए आदेश के विरूद्ध कोई लेन-देन नहीं हो।

60. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां वित्त विभाग का समाधान हो, कि इन नियमों के किसी नियम के क्रियान्वयन से किसी विशेष प्रकरण में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो वह ऐसे कारणों को लेखबद्ध करेगा। ऐसे प्रकरणों को न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से उस सीमा तक जैसा भी आवश्यक समझा जाए, मंत्रिपरिषद के आदेश से उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त अथवा शिथिल कर सकेगा।

61. **निर्वचन.-** जहां इन नियमों के निवर्चन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो उसे विनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग को संदर्भित किया जाएगा।

62. **निरसन और व्यावृत्ति.-** इन नियमों के प्रारंभ होने पर, पूर्व प्रभावशील प्रत्येक नियम, अथवा कार्यालयीन ज्ञापन एवं आदेश को सम्मिलित करते हुए जहाँ तक कि वह इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी विषय का उपबंध करता है, प्रवृत्त नहीं रह जाएगे:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनीष रस्तोगी,** अपर मुख्य सचिव.

# वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.–एफ 9–3–2026–नियम–चार भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2026

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का सारांशीकरण) नियम, 1996 को अतिष्ठित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का सारांशीकरण) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.-** ये नियम, उन शासकीय सेवकों को लागू होंगे, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 में निर्दिष्ट पेंशन या मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के अधीन पेंशन के लिए पात्र हों या प्राधिकृत किए गए हों:

परंतु यह अनुकम्पा भत्ता, प्रावधिक पेंशन और परिवार पेंशन पर लागू नहीं होंगे।

**3. परिभाषाएं.-**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **"शासन"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;

(ख) **"वित्त विभाग"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का वित्त विभाग;

(ग) **"पेंशन प्रस्तावक अधिकारी"** से अभिप्रेत है, कार्यालय प्रमुख, जिसके द्वारा शासकीय सेवक/दिवंगत शासकीय सेवक का पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जाए;

(घ) **"पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी"** से अभिप्रेत है, संचालक, पेंशन के अधीनस्थ अधिकारी जिन्हें शासन के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शासकीय सेवकों के पेंशन और / या उपदान अदायगी आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो;

(ड.) **"पेंशन संवितरण अधिकारी"** से अभिप्रेत है, पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी अथवा एग्रीगेटर बैंक, जिन्हें पेंशन के भुगतान हेतु अधिकृत किया गया हो;

(च) **"कार्यालय प्रमुख"** से अभिप्रेत है- (i) ऐसा राजपत्रित अधिकारी, जिसे वित्तीय शक्तियों की पुस्तिका-2025 के खण्ड 1 के सरल क्रमांक 1.2 के अधीन कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया हो, अथवा;

ऐसे कार्यालय का प्रमुख, जहां शासकीय सेवकों का सेवा अभिलेख, सेवानिवृत्ति के समय संधारित हो रहा हो;

यदि शासकीय सेवक स्वयं कार्यालय प्रमुख है, तब उसके लिए कार्यालय प्रमुख, विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकृत किया गया वह अधिकारी होगा, जो संबंधित शासकीय सेवक से उच्च पद धारित करता हो;

(छ) **"पेंशन सॉफ्टवेयर"** से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा पेंशन प्रकरणों हेतु तत्समय लागू साफ्टवेयर;

(ज) **"आवेदक"** से अभिप्रेत है, नियम 2 में विनिर्दिष्ट शासकीय सेवक, जिसमें सेवानिवृत्त शासकीय सेवक सम्मिलित है, जो प्ररूप 'क' में पेंशन के किसी भाग के सारांशीकरण के लिए आवेदन करता है;

(झ) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ञ) **"पेंशन"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अध्याय-पांच में निर्दिष्ट, अनुकम्पा भत्ता को छोड़कर पेंशन, किन्तु उसमें अतिरिक्त पेंशन सम्मिलित नहीं है;

(ट) **"पेंशन नियम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 और मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए है, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए है, वही अर्थ होंगे जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियमों में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

**4. पेंशन सारांशीकरण की सीमा.-**

(1) किसी भी शासकीय सेवक को, अपनी पेंशन के एक तिहाई से अनधिक भाग का एकमुश्त भुगतान पाने के लिए सारांशीकरण कराने की पात्रता होगी:

परंतु जहां मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 39 के उपबंधों के अनुसार परिगणित पेंशन शासन द्वारा समय-समय पर अवधारित की गई न्यूनतम पेंशन ही है, वहां सांराशीकरण की पात्रता नहीं होगी।

(2) सारांशीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 'क' में, आवेदक पेंशन का वह भाग, जिसका वह सारांशीकरण चाहता है तथा या तो एक तिहाई पेंशन की अधिकतम सीमा या इस सीमा के अन्तर्गत राशि, जिसका वह सारांशीकरण चाहता है, उपदर्शित करेगा। सेवानिवृत्त होने वाला शासकीय सेवक सारांशीकरण प्राप्त करने के लिए पेंशन सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन आवेदन करेगा। अन्यथा स्थिति होने पर, पेंशनभोगी कार्यालय प्रमुख को ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) यदि सारांशीकृत की जाने वाली पेंशन का भाग रूपए के भाग में निकलता है तो सारांशीकरण के प्रयोजन के लिए उसे आगामी पूर्ण रूपए में माना जाएगा।

(4) सेवानिवृति की दिनांक से 3 वर्ष के पश्चात् कोई सारांशीकरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

**5. पेंशन का सारांशीकरण अंतिम होगा.-**

(1) पेंशन का सारांशीकरण,-

(एक) नियम 10 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट आवेदक के मामले में, उस दिनांक को, जिस पर आवेदन पत्र कार्यालय प्रमुख को प्राप्त हुआ हो या पेंशन सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन आवेदन किया गया हो;

(दो) नियम 10 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट आवेदक के मामले में, उसकी सेवानिवृत्ति की दिनांक की आगामी दिनांक को अंतिम हो जाएगा:

परन्तु सारांशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कटौती, पेंशन के सारांशीकृत मूल्य की प्राप्ति की दिनांक से प्रवृत्त होगी;

**उदाहरण-** किसी आवेदक की आयु दिनांक 10.03.2026 को 63 वर्ष होने पर आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, ऐसी दशा में पेंशन सांराशीकरण की गणना परिशिष्ट-1 में 64 वर्ष की आयु के लिए निर्धारित वार्षिकी मूल्य पर आधारित होगी।

(2) नियम 8 में निर्दिष्ट आवेदक के मामले में, जहां सारांशीकृत मूल्य का भुगतान दो अवस्थाओं में किया जाता है, पेंशन की रकम में कटौती, उप-नियम (1) के परन्तुक में अधिकथित किए गए अनुसार क्रमशः भुगतानों की दिनांक से की जाएगी।

(3) ऐसी दिनांक, जिसको पेंशन के सारांशीकृत मूल्य का भुगतान आवेदक को किया गया था, की प्रविष्टि पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान आदेश पर की जाएगी तथा उप-नियम 1 के अनुसार कटौती प्रारंभ की जाएगी।

**6. नामांकन.-**

(1) आवेदक, नियम 4 के उप-नियम (2) के अनुसार सेवा में आने के पश्चात्, किसी भी समय, "पेंशन सॉफ्टवेयर" के प्ररूप 'क' में आवेदन प्रस्तुत करते समय, प्ररूप 'ख' में नामांकन करेगा, जिसमें सारांशीकृत मूल्य प्राप्त किए बिना या उस दिनांक को या उसके पश्चात्, जिसको कि सारांशीकरण अंतिम हो जाता है, आवेदक की मृत्यु हो जाने के मामले में, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 40 के उप-नियम 6 में यथा परिभाषित उसके परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों को पेंशन का सारांशीकृत मूल्य प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा।

(2) यदि किसी पेंशनभोगी की, उस दिनांक को या उसके पश्चात, जिसको कि सारांशीकरण अंतिम हो जाता है, किन्तु सारांशीकृत मूल्य प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो इस मूल्य का भुगतान निम्नलिखित रीति में किया जाएगा,-

(क) सारांशीकृत मूल्य का, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिन्हें वह प्राप्त करने का अधिकार उप-नियम (1) के अधीन नामांकन के द्वारा प्रदत्त किया गया है, भुगतान किया जाएगा।

(ख) यदि ऐसा नामांकन नहीं हो या यदि किया गया नामांकन अस्तित्व में न हो, तो सारांशीकृत मूल्य का भुगतान नीचे उपदर्शित की गई रीति में परिवार के सदस्यों को किया जाएगा-

(एक) यदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 40 के उप-नियम (6) के खण्ड (एक), (दो), (तीन) (चार) एवं (पांच) में दिए गए अनुसार परिवार के उत्तरजीवी सदस्य एक या एक से अधिक हों तो, ऐसे सभी सदस्यों को समान अंशों में;

(दो) यदि उप-खण्ड (एक) में दिए गए अनुसार परिवार में ऐसे कोई उत्तरजीवी सदस्य न हों, किन्तु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 40 के उप-नियम (6) के खण्ड (छह), (सात), (आठ), (नौ) एवं (दस) में दिए गए अनुसार एक या एक से अधिक सदस्य हों, तो ऐसे सभी सदस्यों को समान अंशों में।

(ग) यदि किसी मामले में, सारांशीकृत मूल्य का, खण्ड (क) तथा (ख) में उपदर्शित की गई रीति के अनुसार भुगतान नहीं किया जा सकता हो, तो उसका भुगतान उसके वैध उत्तराधिकारियों को समान अंशों में किया जाएगा।

7. **पेंशन के सारांशीकरण मूल्य की गणना.-** आवेदक को देय एक मुश्त रकम की संगणना इन नियमों से संलग्न मूल्य सारणी (परिशिष्ट-1) के अनुसार की जाएगी।

8. **अंतिम पेंशन का भूतलक्षी पुनरीक्षण.-** ऐसे किसी आवेदक को, जिसने अपनी अंतिम पेंशन के प्रतिशत के रूप में किसी भाग को सारांशीकृत किया हो तथा सारांशीकरण के पश्चात् उसकी पेंशन पुनरीक्षित की गई हो तथा भूतलक्षी रूप से उसमें वृद्धि हई हो, तो उसे वर्धित पेंशन के संदर्भ में पूर्व में किये गये सारांशीकरण की दर पर अवधारित

सारांशीकृत मूल्य तथा पूर्व में प्राधिकृत सारांशीकृत मूल्य के बीच के अन्तर की राशि का भुगतान किया जाएगाः

परन्तु कोई आवेदक, जिसने सारांशीकृत किये जाने के लिए कोई निश्चित रकम उपदर्शित की हो, तो उसे पूर्व में प्राधिकृत सारांशीकृत मूल्य के पुनरीक्षण की पात्रता नहीं होगी।

**9. पेंशन के सारांशीकृत भाग का प्रत्यावर्तन.-**

(1) ऐसे किसी भी पेंशनभोगी को, जिसने उसकी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत किया हो, सारांशीकरण की तिथि से 15 वर्ष के पश्चात्, आगामी मास के प्रथम दिन को, उसकी पेंशन का सारांशीकृत किया गया हिस्सा प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

**उदाहरणार्थ-** यदि किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक द्वारा दिनांक 10 सितम्बर, 2020 से पेंशन का सांराशीकरण कराया है, तब सारांशीकृत राशि का प्रत्यावर्तन दिनांक 01 अक्टूबर 2035 से प्रभावी होगा।

(2) किसी भी पेंशनभोगी, जो उप-नियम (1) के अनुसार प्रत्यावर्तन के लिए पात्र हो, के मामले में, संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन के सारांशीकृत भाग का प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाएगी।

**10. पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन पत्र.-**

(1) कोई आवेदक, जो कोई पेंशन प्राप्त कर रहा हो और उसकी सेवानिवृत्ति की दिनांक से आगामी दिनांक के 3 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व, किसी भी समय, उसकी पेंशन का एक हिस्सा सारांशीकृत कराना चाहता हो, वह कार्यालय प्रमुख को आवेदन करेगा।

(2) कोई भी शासकीय सेवक, जो अधिवार्षिकी आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होने वाला हो तथा जो पेंशन भुगतान आदेश जारी होते समय प्राधिकृत की गई पेंशन के सारांशीकृत मूल्य का भुगतान चाहता हो, वह सेवानिवृत्ति की दिनांक के पूर्व पेंशन प्रकरण के साथ सारांशीकरण का आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

**11. पेंशन प्रस्तावक अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही.-**

(1) पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन पेंशन सॉफ्टवेयर में किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में आवेदन पत्र भौतिक रूप से प्राप्त होने पर पेंशन प्रस्तावक अधिकारी उसकी प्राप्ति की दिनांक दर्शाते हुए पेंशन सॉफ्टवेयर में दर्ज करेगा।

(2) पेंशन प्रस्तावक अधिकारी आवेदन को पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को पेंशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजेगा।

**12. पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा सारांशीकृत मूल्य को प्राधिकृत करना.-**

(1) पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी पेंशन प्रस्तावक अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर यह सत्यापित करेगा कि,-

(क) पेंशन प्रस्तावक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी सही है;

(ख) आवेदक, अपनी पेंशन के भाग का सारांशीकरण करने के लिए पात्र है।

(2) पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी, आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी का आवश्यक सत्यापन करने के पश्चात् संबंधित पेंशन संवितरण अधिकारी को पेंशन के सारांशीकृत मूल्य के भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करेगा।

**13. निरसन.-** इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन (सारांशीकरण) नियम, 1996 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

**प्ररूप 'क'**

**पेंशन के सांराशीकरण के लिए आवेदन**

**[नियम 4 (2) तथा 10 देखिए]**

प्रति,

..... (कार्यालय प्रमुख)

.....

1. आवेदक का पूरा नाम .....
2. एम्पलाई यूनिक कोड (यदि हो तो) .....
3 जन्म तिथि .....
4. सेवानिवृत्ति की तारीख .....
5. पेंशन का प्रकार .....
6. कार्यालय / विभाग .....
   (जहाँ से सेवानिवृत्त हुआ/सेवानिवृत्त हो रहा है) .....
7. पेंशन की राशि .....
8. पेंशन के भुगतान के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकारी
   (एक) राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम, शाखा एवं पता .....
   (दो) बैंक खाता क्रमांक तथा IFSC CODE .....
   (जहाँ पेंशन जमा होती है/जमा की जाना है)
9. (एक) पेंशन से सारांशीकृत की जाने वाली राशि
   या .....
   (दो) पेंशन से सारांशीकृत की जाने वाली राशि का प्रतिशत
10. डाक का पता (स्वीकृति संसूचित करने के लिए) .....
11. पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी का पद नाम .....

**दिनांक ...../...../.....**

**हस्ताक्षर**

**नाम एवं पद**

**कार्यालय - प्रमुख द्वारा सत्यापन**

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन श्री/सुश्री..... से इस कार्यालय में दिनांक ..... को प्राप्त हुआ है।

**कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर**
**तथा पद मुद्रा**

---

**प्राप्ति अभिस्वीकृति**

पेंशन सारांशीकरण के लिए आवेदन, श्री/श्रीमति/सुश्री ..... से इस कार्यालय में दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

**कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर**
**तथा पद मुद्रा**

**प्ररूप ख**

**(नियम 6 देखिए)**

प्रति,

..... (कार्यालय प्रमुख)

.....

मैं .....मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन के सारांशीकरण)

**(पेंशनभोगी का नाम)**

नियम, 2026 के नियम 6 के अंतर्गत, नीचे दिए गए व्यक्ति को एतद्द्वारा नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ।

| नामांकित व्यक्ति का नाम व पता | पेंशन भोगी से संबंध | **यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क हो** | | अन्य नामांकित व्यक्ति का नाम व पता (यदि कॉलम 1 में दिए नामांकित व्यक्ति की मृत्यु पेंशनभोगी से पहले हो जाए) | पेंशन भोगी से संबंध | अन्य नामांकित व्यक्ति की जन्म तिथि (यदि वह भी अवयस्क हो) | उस व्यक्ति का नाम व पता, जो अन्य नामांकित व्यक्ति के अल्पायु के दौरान समायोजित पेंशन राशि प्राप्त करेगा | वह आकस्मिक घटना, जिसके होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जन्म तिथि | उस व्यक्ति का नाम तथा पता (जो नामांकित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान उक्त सारांशीकृत मूल्य प्राप्त करेगा।) | | | | | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**दिनांकः ...../...../.....**

**स्थान : .....**

**पेंशनभोगी के हस्ताक्षर**

**(या अशिक्षित होने पर अंगूठा निशान)**

**एवं नाम पता.....**

**कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर**

**एवं पद मुद्रा**

**सारणी** **परिशिष्ट-1**

**(नियम-7 देखिए)**

**[एक रूपया प्रतिवर्ष पेंशन का सारांशीकरण मूल्य]**

| S. No. | Employees age on next birthday | Commutation value expressed as number of year's purchase |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 39 | 9.103 |
| 2. | 40 | 9.090 |
| 3. | 41 | 9.075 |
| 4. | 42 | 9.059 |
| 5. | 43 | 9.040 |
| 6. | 44 | 9.019 |
| 7. | 45 | 8.996 |
| 8. | 46 | 8.971 |
| 9. | 47 | 8.943 |
| 10. | 48 | 8.913 |
| 11. | 49 | 8.881 |
| 12. | 50 | 8.846 |
| 13. | 51 | 8.808 |
| 14. | 52 | 8.768 |
| 15. | 53 | 8.724 |
| 16. | 54 | 8.678 |
| 17. | 55 | 8.627 |
| 18. | 56 | 8.572 |
| 19. | 57 | 8.512 |
| 20. | 58 | 8.446 |
| 21. | 59 | 8.371 |
| 22. | 60 | 8.287 |
| 23. | 61 | 8.194 |
| 24. | 62 | 8.093 |
| 25. | 63 | 7.982 |
| 26. | 64 | 7.862 |
| 27. | 65 | 7.731 |
| 28. | 66 | 7.591 |
| 29. | 67 | 7.431 |
| 30. | 68 | 7.262 |
| 31. | 69 | 7.083 |
| 32. | 70 | 6.897 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनीष रस्तोगी**, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.